



संकल्पित भारत,
सशक्त भारत



भारतीय जनता पार्टी

संकल्प पत्र

लोकसभा 2019

विषय - सूची

- 01 130 करोड़ भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का पत्र** 05
- 02 भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का संदेश** 07
- 03 श्री राजनाथ सिंह का संदेश** 10
- 04 राष्ट्र सर्वप्रथम** 15
- आतंकवाद पर सुरक्षा नीति
 - राष्ट्रीय सुरक्षा
 - सैनिकों का कल्याण
 - घुसपैठियों की समस्या का समाधान
 - तटवर्ती सुरक्षा
 - सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल (सीएबी)
 - वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला
 - जम्मू कश्मीर - धारा 370
- 05 कृषि और किसान कल्याण-किसानों की आय दोगुनी करना** 17
- किसान कल्याण नीति
 - कृषि सहयोगी क्षेत्रों का विकास
 - सिंचाई का मिशन मोड पर विस्तार
 - कोऑपरेटिव
 - कृषि और प्रौद्योगिकी का मेल
 - पशुपालन
 - नीली क्रांति
 - ग्राम स्वराज
- 06 अर्थव्यवस्था** 21
- विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर भारत
 - 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा
 - कर नीति
 - वास्तु और सेवा कर
 - 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश
 - मेक इन इंडिया
 - खनन क्षेत्र
 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम
 - उद्यमशीलता एवं स्टार्टअप
 - क्लस्टर सेवाओं के लिए पर्यटन का प्रयोग
 - पारदर्शी अर्थव्यवस्था
 - अंतरराष्ट्रीय व्यापार
- 07 आधारभूत संरचना-नए भारत की बुनियाद** 25
- शहरी विकास को प्राथमिकता
 - स्वच्छ भारत मिशन
 - जल शक्ति
 - मार्ग
 - रेलवे
 - हवाई अड्डे
 - तटीय क्षेत्रों का विकास
 - उर्जा
 - डिजिटल कनेक्टिविटी
- 08 स्वस्थ भारत** 28
- स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभता
 - स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ढांचा
 - टीकाकरण एवं पोषण
 - क्षय रोग को समाप्त करना
- 09 सुशासन** 30
- एक साथ चुनाव
 - भ्रष्टाचार मुक्त भारत
 - सिविल सर्विस एवं शासन में सुधार
 - पुलिस व्यवस्था में सुधार
 - न्यायिक सुधार
 - संघवाद
 - ईज ऑफ लिविंग
 - विज्ञान एवं तकनीकी
 - वन एवं पर्यावरण
 - हिमालय
 - द्वीप
 - केंद्र शासित प्रदेश
 - उत्तर-पूर्वी राज्य
- 10 युवा भारत - भविष्य का भारत** 34
- युवाओं को अवसर
 - शासन में युवा
 - खेल
- 11 शिक्षा और कौशल विकास - सबके लिए शिक्षा** 36
- प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा
 - उच्च शिक्षा
 - कौशल विकास
- 12 महिला सशक्तिकरण** 38
- महिला-प्रेरित विकास
 - महिलाओं को समान अधिकार
 - महिलाओं के लिए एक गरिमामय जीवन
 - महिलाओं को आरक्षण
- 13 समावेशी विकास** 40
- सबके लिए न्याय
 - सबका विकास
 - गरीब कल्याण
 - निम्न माध्यम वर्ग को प्राथमिकता
 - भौगोलिक समानता के लिए प्रतिबद्धता
 - अल्पसंख्यक वर्ग
 - वरिष्ठ नागरिक
 - दिव्यंगों को सक्षम बनाना
 - गोरखा विषय का राजनैतिक समाधान
 - श्रमिक वर्ग का कल्याण
 - छोटे दुकानदारों को पेंशन
 - कारीगरों का कल्याण
 - बाल कल्याण
 - ट्रांसजेंडर वर्ग का सशक्तिकरण
- 14 सांस्कृतिक धरोहर** 43
- राम मंदिर
 - भारतीय आस्था और संस्कृति का संरक्षण
 - भारतीय भाषाई संस्कृति का संरक्षण
 - नमामि गंगे - गर्व का विषय
 - सबरीमाला
 - योग का विश्वस्तरीय विकास
 - भारतीय सांस्कृतिक पर्व
 - धरोहर दर्शन
- 15 वैश्विक भारत** 45
- वसुधैव कुटुंबकम
 - ज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वैश्विक समन्वय
 - प्रवासी भारतीयों के साथ निरंतर संवाद
 - वैश्विक मंचों के माध्यम से आतंकवाद का हल
 - बहुपक्षीय सहयोग
 - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता
 - राजनयिक कैडर का सशक्तिकरण





130 करोड़ देशवासियों के सपनों का नया भारत >>

मेरे प्यारे देशवासियों,

भाजपा एक बार फिर आपके पास आई है ताकि आपका आशीर्वाद लेकर भारत की इस विकास यात्रा को अबाधित, बिना थके, बिना रुके, एक नए उत्साह और उमंग के साथ जारी रख सके।

पांच साल पहले, 26 मई 2014 को ऐतिहासिक जनादेश मिलने के बाद भारत के सर्वांगीण विकास के इस संकल्प के साथ यह यात्रा शुरू की थी।

उस समय, भारत के समक्ष कई बड़ी चुनौतियां थीं- हमारी अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में थी तथा चारों ओर निराशा का वातावरण था। भ्रष्टाचार विकराल रूप ले चुका था। अपने नागरिकों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर पाने में, भारत की क्षमता पर संदेह व्यक्त किया जा था।

लेकिन, अगर चुनौतियां बड़ी थीं, तो एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनाने का हमारा संकल्प भी मजबूत था। 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और उनके कौशल के बलबूते, अभूतपूर्व रूप से जन भागीदारी के साथ हमने अवरोधों को अवसरों में, अवनति को विकास की गति में और निराशा को आशा में बदला।

जो चीजें कभी नामुमकिन लगती थीं, उसको हमने तेज़ गति के साथ धरातल पर उतारा। पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक भारतीय परिवार को जन-धन योजना के कारण बैंक खाता मिला, 50 करोड़ भारतीयों को आयुष्मान भारत की बदौलत बीमारी से लड़ने का हौसला मिला और असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ से अधिक लोग अब पेंशन का लाभ ले सकते हैं।

स्वच्छ भारत अभियान ने जन आंदोलन का रूप ले लिया और पांच सालों में स्वच्छता का दायरा 38% से बढ़ कर आज 99% के करीब पहुंच गया है। मुद्रा योजना के कारण अब छोटे शहरों के युवाओं के लिए उद्यमी बनना संभव हुआ है। 5 लाख रुपये तक की आय वाले नव-मध्यम और मध्यम वर्ग के लोगों को अब आयकर से छूट मिल गई है।

हमारी सरकार ने भविष्य की सोच के साथ, तेज़ी से इनफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर किया है। सड़कों और रेलवे लाइनों के निर्माण की गति दोगुनी हो गई है। भारत के पास अब और भी अधिक अच्छे और आधुनिक बंदरगाह हैं। 2014 तक अंधेरे में रहने वाले 18,000 गांव अब ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयासों से प्रकाशमान हो गए हैं। सौभाग्य योजना के माध्यम से 2.6 करोड़ से अधिक घरों को रोशन किया गया है। पिछले पांच वर्षों में बने 1.5 करोड़ घरों ने लाखों लोगों को बड़े सपने देखने की आज़ादी दी है। पिछले पांच साल का हमारा कार्यकाल साक्षी है कि कैसे देश की विकास यात्रा एक जन आंदोलन का रूप ले सकती है।

हमारा राष्ट्र अब निर्दयी आतंकी ताकतों के सामने लाचार नहीं है। देश की शांति और एकता के माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली हर विनाशकारी विचारधारा को करारा जवाब दिया गया है। उन्हें पहली बार सूद समेत उन्हीं के भाषा में कड़ा जवाब मिला है।

पूर्वोत्तर भारत जो अब तक अलग थलग रहता था, में आज अभूतपूर्व विकास हो रहा है। पूर्वोत्तर आज देश की मुख्यधारा से मजबूती के साथ जुड़ गया है।

केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। सत्ता के गलियारों में बिचौलियों की



मौजूदगी इतिहास बन चुकी है। अब फैसले कुछ चुनिंदा लोगों के निजी स्वार्थ के बजाए सभी भारतीयों के सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर लिए जाते हैं। जन-धन, आधार और मोबाइल की तिकड़ी ने 8 लाख से अधिक फर्जी लाभार्थियों की पहचान में सहायता की है और 1 लाख करोड़ से अधिक रुपये की चोरी को रोका है। काले धन को सफ़ेद करने से रोकने के लिए व्यवस्थाओं को मज़बूत किया गया है। भ्रष्टाचारियों में आज डर है।

आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है। विदेशी निवेश में रिकॉर्ड वृद्धि से यह स्पष्ट है कि दुनिया भारत की अपार क्षमताओं से परिचित हुई है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और हवाला की रोकथाम जैसे विषयों पर भारत के रुख ने इन्हें वैश्विक मुद्दा बना दिया है।

साथियों,

“संकल्पित भारत, सशक्त भारत” इस पत्र में आपको पिछले पांच सालों में जिन चुनौतियों को देश ने परास्त किया है उनके बारे में, उनसे निपटने के लिए 130 करोड़ भारतीयों द्वारा किए गए अदम्य प्रयासों के बारे में और आने वाले कल के लिए हमारे सामूहिक संकल्प की झलक मिलेगी।

पिछले पांच वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है और आगे हम विकास की गति और विस्तार को एक नया आयाम देने के लिए संकल्पित हैं। ऐसे दो संकल्प हैं जो मेरे हृदय के बेहद करीब हैं – 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना और सबको घर। मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन से यह अवश्य संभव होगा।

मैं भारत के लाखों जागरूक, प्रतिबद्ध और देशभक्त नागरिकों का धन्यवाद करता हूँ, जिनके मूल्यवान सहयोग से यह “संकल्पित भारत, सशक्त भारत” पत्र तैयार हो पाया है और सही मायनों में लोगों की आवाज़ बन पाया है।

एक मजबूत और निणायक सरकार के लिए 2014 में आपके वोट ने हमें पांच वर्षों की छोटी सी अवधि में पांच दशकों के वंशवादी शासन की बुराइयों को दूर करने में सक्षम बनाया। अब जब इन बुराइयों पर हम विजय पा चुके हैं, तो उस गति की कल्पना करें जिसके साथ हम आने वाले समय में काम कर सकते हैं।

अगले पांच साल अहम हैं क्योंकि 2022 में हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनायेंगे। इस देश के महान सपूतों ने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया ताकि हम आजादी की खुली हवा में सांस ले सकें। उनके सपनों का भारत बनाना, आज हम में से प्रत्येक का दायित्व है।

2047 में, हमारा राष्ट्र स्वतंत्रता के सौ साल पूरे करेगा। आइए हम सब मिल कर सोचेविचार करें कि 2047 तक हम कैसा भारत चाहते हैं। भाजपा अगले पांच वर्षों में 2047 के भारत की नींव रखने की प्रतिज्ञा करती है। आइए अब हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करने में जुट जाएं।

विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारधाराओं की कार्य संस्कृति और काम को देखने के बाद, आज भारत के लोग आश्वस्त हैं कि अगर कोई पार्टी है जो देश की समस्याओं का समाधान कर सकती है, तो वह भाजपा है। ‘सबका साथ, सबका विकास’ का मंत्र भारत के कोने कोने तक गूँजा है। भाजपा हर भारतीय की पार्टी है। यह ऐसी पार्टी है, जो जमीनी स्तर पर 24 घंटे काम करती है। इसीलिए, हमें जो जनता का स्नेह और समर्थन मिला है, वह ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है।

नया भारत अतीत की बेड़ियों से आज़ाद हो चुका है। आज हमारा देश बड़े सपने देखने की हिम्मत भी करता है और उन्हें पूरा करने का जज़्बा भी रखता है।

आइए हम सब मिलकर एक मजबूत और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में काम करें, जहां हर भारतीय का सम्मान, समृद्धि, सुरक्षा और आगे बढ़ने के अवसर सुनिश्चित हों।

वन्दे मातरम!


नरेन्द्र मोदी

नरेन्द्र मोदी





अध्यक्षीय पत्र



भारतीय जनता पार्टी भारतीयता के मूल्यों, अंत्योदय (गरीब कल्याण) के लक्ष्यों और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे संकल्पों के मूल में हमारी पंचनिष्ठा है। हमारे पास एक ऐसी विचारधारा की महान विरासत है, जो संकल्पबद्ध होने की प्रेरणा देती है। हमारी निष्ठा और हमारे संकल्प सिर्फ चुनावी वादों और घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं। समावेशी विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक साख में विस्तार सहित देश की बहुआयामी प्रगति की बातें हमारी विचारधारा और हमारे संकल्पों में समाहित वे तत्व हैं, जो निरंतर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दृष्टिपत्र अथवा संकल्प-दस्तावेज न तो अस्थायी है और न ही घोषणाओं का कागजी पुलिंदा। हमारे संकल्प-पत्र में दर्ज शब्द-शब्द हमारी समर्पित निष्ठाओं का लिखित दृष्टिकोण है।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित वैचारिक अधिष्ठान की बुनियाद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रशस्त अंत्योदय (गरीब कल्याण) के मार्ग पर चलते हुए भाजपा दशकों से जनता के बीच सक्रिय है। देश की जनता ने जब-जब हमें सरकार चलाने का जनादेश दिया, हमने पूर्ण प्रतिबद्धता से जन-आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पण की भावना से कार्य किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब भाजपानीत एनडीए को सरकार चलाने का जनादेश मिला था, उस दौर में हमने विकास और सुशासन को समाज के अंतिम पायदान तक ले जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अंत्योदय (गरीब कल्याण) भारतीय जनता पार्टी का पथ भी है, प्रण भी है और लक्ष्य भी है।

2019 में चुनाव के उत्सव-पर्व में प्रवेश करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों की तरफ एक दृष्टि रखना चाहूंगा। 2014 में भाजपा ने अपना संकल्प पत्र देश की जनता के सामने रखा था, तब देश में यूपीए की सरकार की कुनीतियों भ्रष्टाचार एवं अनिर्णयकारी की स्थिति ने देश के विकास के गाड़ी की पटरी से उतार दिया था। वह एक ऐसा दौर था, जहां भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन की बातें असंभव लगती थीं। कोई यकीन ही नहीं कर पाता था कि बहुआयामी विकास के लक्ष्यों को बिना भ्रष्टाचार के भी हासिल किया जा सकता है। किंतु श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था को कल्पना से व्यावहारिकता में लाने में सफलता हासिल की है। हम यह संदेश देने में सफल हुए हैं कि भ्रष्टाचार के बिना भी शासन और व्यवस्था चल सकती है।

2014 के चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनमानस की आशाओं का चेहरा बनकर उभरे और हमने 2014 में कुछ संकल्प व्यक्त किए। आज जब पुनः हम चुनाव के मुहाने पर हैं तो गर्व और संतोष के साथ जनता से संवाद करते हुए यह कह पा रहे हैं कि संकल्पों की उस यात्रा को हमने देश की अपेक्षाओं के अनुरूप न सिर्फ आगे बढ़ाया है बल्कि उनकी अपेक्षाओं को भी उड़ा देने का कार्य किया है। हमने देश के जनमानस में विकास का विश्वास पैदा किया है कि श्री नरेंद्र





मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नए भारत के निर्माण का वाहक बनी है। जो जनमानस 'कुछ नहीं हो सकता' कहकर निराश हो जाता था, आज 'यह भी होना चाहिए' कहकर आशाओं के साथ देश के विकास में खड़ा है।

कोई एक सरकार बीस साल तक चलती है तो एक-दो ऐतिहासिक निर्णय लेती है। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पांच वर्षों में अनेक ऐसे निर्णय लिये हैं, जो ऐतिहासिक और आमूलचूल बदलाव को मूर्त रूप देने वाले हैं। स्वच्छता आंदोलन, उज्वला योजना, सौभाग्य योजना, नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, हर घर बिजली, 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आवास तथा पचास करोड़ लोगों को मुफ्त चिकित्सा देने के लिए आयुष्मान भारत योजना और 14 करोड़ लोगों को मुद्रा के तहत ऋण जैसे अनेक ऐसे कार्य हैं, जो कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने करना तो दूर, कभी सोचा तक नहीं।

सामान्य व्यक्ति के जीवन की मूल जरूरतों को पूरा करने का विचार हमारे दल की सोच में निहित है। देश में पारदर्शी कार्य प्रणाली, आर्थिक प्रगति एवं विकास की दौड़ में जनभागीदारी के मोर्चे पर पिछले पांच वर्षों में सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और कारोबार में सुगमता की दृष्टि से हम दुनिया के लिए बेहतर देश बनकर उभरे हैं। दुनिया में हमारी साख आज जितनी ऊँची है, उतनी आजादी के बाद कभी नहीं थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम एक ऐसा भारत बनाने में कामयाब हुए हैं जहां हमारे मित्र राष्ट्र हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे प्रतिस्पर्धी हमारा सम्मान करते हैं और हमारे शत्रु हमसे भय खाते हैं।

आज भारत राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने, सैन्य बल की मजबूती के लिए सफल प्रयास करने तथा अनेक मोर्चों पर दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम ग्लोबल ताकत बनकर उभरे हैं। भारत दुनिया को संदेश देने में सफल हुआ है कि हम आतंकवाद को समूची दुनिया के लिए खतरा मानते हैं और इसके खिलाफ साझा लड़ाई में हिस्सेदार हैं। साथ ही हमने यह भी बताया है कि हमारे खिलाफ अगर कोई आतंकी वारदात होती है तो हम उसका तुरंत और मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। दुनिया हमें एक मजबूत और उभरती शक्ति के रूप में देखने लगी है। सैन्य बल को आधुनिकीकरण व नवीन रक्षा तकनीक से लैस करने तथा इस दिशा में आत्मनिर्भरता हासिल करने में भी हमने अपार सफलता पाई है।

2019 के चुनाव पिछले पांच साल में नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा किए गए बहुमुखी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का चुनाव है। यह चुनाव दशकों के इतिहास की भूलों से 2014 में पार निकले एक ऐसे देश की सरकार का चुनाव है, जो विकास की दौड़ में अब न रुकना चाहता है और न झुकना चाहता है। यह आशाओं से भरोसे तक की यात्रा में एक ऐसी सरकार का चुनाव है, जिसका सिर्फ एक उद्देश्य और एक लक्ष्य है-- विकास, सुशासन और समृद्धि की यात्रा को आगे बढ़ाना।

यह चुनाव दो दलों का नहीं है, बल्कि यह चुनाव उस नकारात्मकता के खिलाफ है जो अपने गौरव की पहचान को भुलाने का काम कर रही है। यह चुनाव न जीत का चुनाव है, न हार का चुनाव है, बल्कि यह चुनाव अवसरवाद के चूल्हे पर स्वार्थ की रोटी पकाने वालों को परास्त करने का चुनाव है। यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती के लिए वंशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद और भ्रष्टाचार को हराने का चुनाव है।

भावी भारत की विकास यात्रा कैसी हो, इसके लिए हमने अपने संकल्पों में देश के करोड़ों लोगों की इच्छाओं, आकांक्षाओं, सुझावों और सलाहों को शामिल किया है। जिन संकल्पों के साथ हम यह संकल्प-पत्र ला रहे हैं, यह देश के आम जनमानस की इच्छाओं का प्रतिनिधि पत्र है, उनका उदगार है। जनभागीदारी से चलने वाली एक सरकार का





संकल्प-पत्र भी जनमानस की मंशाओं को प्रतिध्वनित करे, इसके लिए संकल्प-पत्र समिति के अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में देश भर में मैराथन प्रयास किए, और उसके परिणाम स्वरूप यह संकल्प-पत्र तैयार हुआ है। संकल्प-पत्र समिति तथा इस प्रयास में शामिल हर किसी की सहभागिता सराहनीय है।

मित्रो, यह चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने का चुनाव है, यह भारत को दुनिया की टॉप पांच इकॉनमी शक्ति बनाने का चुनाव है, यह चुनाव देश के पचास करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का चुनाव है, यह चुनाव देश को आगे बढ़ाने व विश्व में भारत को महान बनाने का चुनाव है।

आइए, श्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करें और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं।

अनंत शुभकामना सहित

अमित शाह

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष



संकल्प पत्र लेख >>



भारतीय जनता पार्टी के संकल्प-पत्र के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में एक सौ तीस करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को अपने भावी दृष्टिपत्र के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस संकल्प-पत्र को आपके बीच रखते हुए हमें गर्व और संतोष की अनुभूति हो रही है कि हमारे संकल्पों में देश के करोड़ों देशवासियों की सहभागिता का समावेश है। 'भारत के मन की बात' के माध्यम से देश के सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों और सभी समुदायों के साथ विस्तृत एवं व्यापक संवाद के बाद हमने अपने दृष्टिकोण का यह दस्तावेज देश के सामने रखा है। इस दस्तावेज में दर्ज संकल्पों के माध्यम से हम उस नए भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जो हमारी प्रतिबद्धता है।

2014 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिले जनता के आशीर्वाद रूपी बहुमत के जनादेश के बाद देश तरक्की की राह पर तेजी से आगे चल पड़ा है। आज ऐसे समय में हम इस संकल्प-पत्र को लेकर आपके बीच आ रहे हैं, जब देश विकास की पटरी पर निर्बाध गति से दौड़ रहा है। समावेशी विकास और सुशासन के प्रति श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में किए गए बहुमुखी कार्यों से ही यह संभव हुआ है कि हम 2022 तक नए भारत के लक्ष्यों तक पहुंचने का दृढ़ विश्वास व्यक्त कर पा रहे हैं।

2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, तब हमारे सामने देश को यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन और अनिर्णयकारी ढुलमुल रवैये के कारण ठप पड़ी विकास की गाड़ी को पुनः पटरी पर लाने और देश को निराशा के अंधकार से उबारने की चुनौती थी। 2014 से पहले देश में एक ऐसी सरकार चल रही थी, जिसके पास न साफ नीयत थी, न निर्णय लेने वाला सबल नेतृत्व था और ही जनहित को समर्पित कोई नीति थी। 2014 में जब देश ने हमें शासन का जनादेश दिया, उसके पहले दस वर्षों तक नीतिगत पंगुता से ग्रस्त एक ऐसी सरकार थी, जिसके पास न तो भविष्य का दृष्टिकोण था और न ही शासन की जनहितैषी नीति थी। पिछले पांच वर्षों में हमें यूपीए सरकार से विरासत में मिली चुनौतियों से देश को उबारने में हमने अपूर्व सफलता हासिल की है और विकास की रफ्तार को भी तेज किया है।

पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार जनादेश के भरोसे पर खरी उतरी है। एक सौ तीस करोड़ देशवासियों की आशाओं को 'भरोसे' में बदलने की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ हमने बिना विश्राम किए देश को प्रगति-पथ पर आगे ले जाने का कार्य किया है।

पांच वर्षों तक जनभागीदारी वाली कल्याणकारी सरकार चलाने के बाद अपने भावी संकल्पों को आपसे साझा करते हुए हम गर्व से कह सकते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने न केवल अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है, बल्कि करोड़ों देशवासियों को आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाया है, जिससे वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। इस सरकार का यह कार्यकाल सामान्य जन के सशक्तिकरण, निर्णय लेने वाली मजबूत सरकार, एकता को बढ़ाने वाली भावना तथा 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण शिलालेख साबित हुआ है।



कृषि विकास के उच्चतम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमने कृषि क्षेत्र को 'किसान केंद्रित' बनाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। इस क्षेत्र के प्रति हमारी प्राथमिकताओं का परिणाम है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का 1.5 गुना करके हमने उनकी उपज के उचित मूल्य को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को सीधे उनके खाते में प्रतिवर्ष 6000 रुपये की सहायता देकर सरकार ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। भाजपा की सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसानों को बाजार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों और उन्हें जोखिम से मुक्त किया जा सके।

पिछले पांच वर्षों में महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्ग सहित सभी वर्गों के विकास और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की बदौलत हर देशवासी के मन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का भरोसा पैदा हुआ है। वर्षों से ठप पड़ी संपर्क परियोजनाओं को अभूतपूर्व गति के साथ पूरा किया गया है और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। प्रक्रियाओं का सरलीकरण करके हमने अर्थव्यवस्था को तेज गति से पटरी पर लाने में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। 'एक देश एक कर' अप्रत्यक्ष कर सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। देश की बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए मोदी सरकार ने देशवासियों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा किया है। इन तमाम कार्यों को करते हुए हमने एक जवाबदेह, संवेदनशील और मजबूत इरादों वाली सरकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

भाजपा सरकार ने हमेशा जन-भागीदारी को सुशासन का महत्वपूर्ण अंग माना है और हमने अपनी नीतियों में सामान्य लोगों की भागीदारी को व्यापक विस्तार दिया है। इसी भावना के साथ अगले पांच वर्षों के हमारे कार्य के नियोजन और इस संकल्प-पत्र के निर्माण में भी हमने 'भारत के मन की बात' को जानने की देशव्यापी कोशिश की है।

भाजपा द्वारा एक महीने तक चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान 'भारत के मन की बात' के तहत करोड़ों लोगों से हम जुड़े और अलग-अलग माध्यमों से लाखों सुझाव हमें प्राप्त हुए। हमारा यह संकल्प-पत्र लाखों सुझावों की अभिव्यक्ति का एक पत्रक है। लगभग 300 रथ, 7700 सुझाव पेटियों, 100 से अधिक संवाद कार्यक्रम, 4000 से अधिक 'भारत के मन की बात' कार्यक्रम और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के 'मन की बात' को समझने का प्रयास हमने दृढ़ता से किया है। साथ ही, विशेषज्ञों के साथ कई बैठकों के माध्यम से देश के भविष्य की कार्ययोजना बनाने का कार्य इस संकल्प-पत्र के निर्माण का मूल आधार बना है।

यह संकल्प-पत्र उस अविरत यात्रा का परिचायक है, जो हमने 2014 में लोगों के आशीर्वाद के साथ शुरू की थी। पिछले पांच वर्षों की उपलब्धियों को आधार बनाते हुए उस यात्रा को अगले पांच सालों में आगे बढ़ाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। यह संकल्प-पत्र इन उद्देश्यों को प्राप्त करने और एक सौ तीस करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की हमारी सुनियोजित कार्ययोजना है।

जनाभिव्यक्ति से प्रेरित इन संकल्पों के साथ गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के संकल्प को दोहराते हुए यह संकल्प-पत्र आप देशवासियों को समर्पित करता हूँ।



राजनाथ सिंह

अध्यक्ष, संकल्प-पत्र समिति



एक नए भारत की ओर

पिछले पांच वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी एक निरंतर गतिशील सरकार के रूप में आर्थिक स्थिरता की पुनर्स्थापना, सुशासन के दूरगामी व दीर्घकालिक संरचना के निर्माण, देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण तथा भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की व्यापक सुरक्षा की अपनी नीति पर अडिग रहेंगे। पिछले पांच वर्षों में हमने प्रदर्शित किया है कि एक प्रतिबद्ध और निर्णायक नेतृत्व, जो कठोर निर्णय लेने से नहीं पीछे हटता, द्वारा कितना कुछ किया जा सकता है। पिछले पांच वर्षों में सरकार ने देश के विकास के लिए जो बहुआयामी और सफल प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को आगे बढ़ाने की इच्छाशक्ति के साथ 'नए भारत' के निर्माण की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।

अगले पांच वर्षों में हम सामान्य जन जीवन के हर आयाम को छूते हुए सभी नागरिकों के लिए विकास के अवसर पैदा करने की अपनी कार्यपद्धति पर चलते रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सबका साथ, सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। हम अपनी सभ्यता की जड़ों को बनाए रखते हुए एक विकसित भविष्य के लक्ष्यों तक पहुंचने की इच्छाशक्ति व्यक्त करते हैं।

अपने दूरगामी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हमें सबसे पहले अपने देश को आंतरिक और बाह्य, दोनों आक्रमणों से सुरक्षित करना होगा। इन खतरों का सामना करने तथा उनसे निपटने के लिए उनकी जड़ों तक जाकर पहुंचने की आवश्यकता है। हम एक ऐसे निर्णायक नेतृत्व का वादा करते हैं, जो हमारे सुरक्षा-तंत्र को सभी आवश्यक उपकरणों से लैस करने का कार्य करेगी। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, हम वैश्विक आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए अपनी विदेश नीति का उपयोग करेंगे। इस प्रकार हम अपने राजनयिक और संबद्ध संवर्गों की शक्ति को और विस्तार देने का इरादा रखते हैं। हम रक्षा खरीद में भारत की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया इन डिफेंस' पहल पर भी जोर देंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने पहले भाषण में वादा किया था कि यह सरकार सबसे गरीब लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। पिछले पांच वर्षों में हमने आधार, डीबीटी और जन-धन खातों के माध्यम से समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को बुनियादी सेवाएं सीधे पहुंचाने के लिए एक पारदर्शी तंत्र बनाने में सफलता हासिल की है। सफाई (स्वच्छ भारत), स्वास्थ्य बीमा (आयुष्मान भारत) और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं में बड़े निवेश के साथ बुनियादी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगले पांच वर्षों में हमारा संकल्प ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हर गरीब भारतीय तक पहुंच आवास, बिजली, शौचालय, रसोई गैस और स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक की पहुंच सुनिश्चित करने और गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत एकल अंकों तक लाने का है।

पिछले पांच वर्षों में, हमने व्यापक आर्थिक स्थिरता को पुनर्स्थापित किया, साथ-ही-साथ आर्थिक शासन के लिए स्थायी ढांचे भी निर्मित किए। हमारे इन प्रयासों में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, लक्षित मुद्रास्फीति, राष्ट्रव्यापी माल एवं सेवा कर और बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता भी शामिल है। इन प्रयासों ने न केवल देश की व्यापार संस्कृति को बदल दिया है और मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत तक ला दिया, बल्कि सॉवरेन रेटिंग में वृद्धि और व्यापार सुगमता रेटिंग में तेज उछाल के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर भारत को मजबूत स्वीकृति भी दिलाई है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत व्यापक स्थिरता बनाए रखते हुए अगले पांच वर्षों के लिए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहे। हमारी आकांक्षा सन 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की है।

चूंकि हमारा आर्थिक मॉडल उद्यमशीलता और नवाचार पर आधारित है, इसलिए हम टैक्स दरों को सरल और कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। व्यापार में सुगमता (ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस) का एक महत्वपूर्ण पहलू अनुबंधों को लागू करने और विवादों को हल करने की दिशा में किए गए हमारे कार्य हैं। इसलिए हम न्यायपालिका के साथ समन्वय में पाँच साल के भीतर कानूनी तंत्र की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि का वादा करते हैं।



पिछले पांच वर्षों में देश का भौतिक बुनियादी ढांचा अभूतपूर्व ढंग से उन्नत हुआ है। हमने 91 प्रतिशत गांवों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ा है, 100% गांवों का विद्युतीकरण किया है, 36 नए हवाई अड्डों का परिचालन शुरू किए हैं और कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क शुरू किये हैं। भविष्य में, हमने 60,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने, 100% गांवों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने, 100 नए हवाई अड्डों का परिचालन शुरू करने, 400 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने और 50 शहरों में मेट्रो नेटवर्क बिछाने की योजना बनाई है।

कृषि क्षेत्र से हमारी श्रम शक्ति के एक बड़े हिस्से को रोजगार हासिल होता है। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए हमने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना तक बढ़ाया गया। इसके अलावा हमने यूरिया की नीम-कोटिंग, हजारों ग्रामीण कृषि बाजार की स्थापना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 14 करोड़ किसानों को बीमा कवर देने और हाल ही में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए 12 लाख किसान परिवारों को प्रत्यक्ष आय सहायता की शुरुआत जैसे उपायों के माध्यम से सब्सिडी वाले कृषि सुविधाओं के बड़े पैमाने पर प्रवाह-परिवर्तन पर अंकुश लगाया है। अगले पांच वर्षों में हम एक राष्ट्रीय वेयरहाउसिंग ग्रिड बनाएंगे, कृषि/ग्रामीण उत्पादकता के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे, ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के दायरे में सभी किसानों को लाएंगे। हम सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के वादे के प्रति अटल हैं और आवश्यक होने पर और संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

पिछले पांच वर्षों में हमने उद्योग और सेवा क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय साझा बाजार बनाया है। मुद्रास्फिति में कमी और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता को सुनिश्चित करके हम अब पूंजी की वास्तविक लागत को संरचनात्मक रूप से कम करने की स्थिति में हैं। यह निजी क्षेत्र के निवेश में निरंतर वृद्धि की कुंजी है। हम एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना के साथ-साथ खुदरा व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा करने के इच्छुक हैं। पर्यटन क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत में यूनेस्को के सभी वैश्विक धरोहर स्थलों में अंतरराष्ट्रीय मानक की सुविधाएं हों। हम राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में सांस्कृतिक/प्राकृतिक महत्व के विशिष्ट स्थलों की पहचान कर और उनके संरक्षण के प्रति संवेदनशील रहेंगे।

किसी देश की सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और सामाजिक पूंजी उसकी आर्थिक पूंजी जितनी ही महत्वपूर्ण होती है। इनमें भी निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है और हम सांस्कृतिक/भाषाई विरासत की रक्षा, पारिस्थितिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एवं अगली पीढ़ी के लिए अपने सभ्यता संबंधी विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन व सहयोग बढ़ाने का इरादा रखते हैं। हम अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्गनिकालने के लिए संवैधानिक ढांचे के भीतर सभी संभावनाओं को तलाशने के लिए कृतसंकल्प है।

हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को संवैधानिक प्रावधानों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए संकल्प व्यक्त करते हैं। हमने हाल ही में गैर-आरक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत की है। इसी के साथ, हम असम में नागरिकों के राष्ट्रीय पंजीकरण के कार्य को तेजी से पूरा करेंगे और अन्य राज्यों में इसके विस्तार पर सक्रिय रूप से विचार करेंगे।

प्रत्येक समाज महिलाओं के सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों के समावेशन और युवाओं को प्रोत्साहन के माध्यम से आगे बढ़ता है। हम इन उद्देश्यों को तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से मंद नहीं पड़ने देंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि तीन तलाक और निकाह-हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिए पर्सनल लॉ का आधुनिकीकरण किया जाएगा। हम अपने प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की गुणवत्ता के साथ-साथ अपनी उच्च शिक्षा क्षमता के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करके अपनी मानव संसाधन क्षमता में निवेश करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा हम विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के चयनित समूह को विश्वस्तरीय बनाने के क्रम में उनमें भी निवेश करेंगे।



तीन पीढ़ियों से भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रणाली को वंशानुगत सत्ता के हाथों बंधक बना लिया गया था। इसने राजनीतिक संरक्षण के एक भ्रष्ट एवं स्वार्थी तंत्र को बढ़ावा दिया, जो धीरे-धीरे जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त होता गया। सन 2014 में देश ने इस तंत्र को समाप्त करने के लिए निर्णायक मतदान किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सार्वजनिक जीवन और शासकीय कार्यों में ईमानदारी को पुनर्स्थापित करने, नीति-निर्माण और राष्ट्रीय संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए हरसंभव प्रयास किया गया है।

हमारा उपरोक्त संकल्प बाह्य/आंतरिक सुरक्षा के खतरों से सुरक्षित और साथ-ही-साथ अपनी सांस्कृतिक, पारिस्थितिक एवं सामाजिक संपत्ति पर आधारित होने में सक्षम, तकनीकी रूप से आधुनिक, उद्यमशील और नीति-आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। यह नए भारत के निर्माण पर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मजबूत, निर्णायक तथा सर्व-समावेशी विकास को समर्पित सरकार का संकल्प-पत्र है।



राष्ट्र सर्वप्रथम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निणायक नेतृत्व ने पिछले पांच वर्षों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इसी नीति पर हम आगे बढ़ेंगे।

आतंकवाद पर सुरक्षा नीति

- 01 हमारी सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। इसके उदाहरण हाल ही में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हैं। हम आतंकवाद एवं उग्रवाद के विरुद्ध "जीरो टॉलरेंस" की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे और सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए 'फ्री हैंड' की नीति का अनुसरण करते रहेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा

- 02 **अपने सुरक्षा बलों को सुदृढ़ बनाएंगे** - हम रक्षा से जुड़े बाकी उपकरणों एवं हथियारों की खरीद तेज करेंगे। सुरक्षा बलों की हमला करने की क्षमता सुदृढ़ बनाने हेतु सैन्य बलों को आधुनिक उपकरण प्रदान करने के लिए हम सघन प्रयास जारी रखेंगे।
- 03 **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे** - रक्षा उपकरणों की खरीद में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले पांच वर्ष में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। हमारी सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि सबसे आधुनिक एके-203 स्वचालित राइफल्स बनाने की फैक्ट्री की नींव 'रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत अमेठी में रखी गई है। हम 'रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया' को और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि रक्षा उपकरणों का स्वदेश में ही निर्माण हो सके। इससे रोजगार सृजन होगा और रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

सैनिकों का कल्याण

- 04 हमारी सरकार ने लंबे समय से लंबित 'वन रैंक वन पेंशन' को लागू कर सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के हितों के प्रति अपने संकल्प को प्रतिबद्धता से पूरा किया। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के पुनर्वास के लिए अधिक प्रभावी ढांचा तैयार करने का वादा करते हैं। इस प्रयास के अंतर्गत सशस्त्र बल के सैनिकों के सेवानिवृत्त होने से तीन वर्ष पूर्व उनकी पसंद के अनुसार ही उनके पुनर्वास की योजना आरंभ कर देंगे। इसमें कौशल प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, आवास एवं उद्यम आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल होगा।

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

- 05 हम केंद्रीय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए उनकी कार्य क्षमता और दक्षता में वृद्धि करेंगे, जिससे वह आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना सुदृढ़ता से कर सकें।
- 06 हम राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी अपनी पुलिस आधुनिकीकरण की पुनरीक्षित योजना के अंतर्गत सहायता मुहैया कराएंगे। राज्यों में पुलिस सुधार का कार्य भी तेजी से किया जाएगा, जिससे कि वह साइबर-क्राइम जैसे नए प्रकार के अपराधों से लड़ने में सक्षम हो सकें और नागरिकों, विशेष तौर पर कमजोर एवं असहाय वर्गों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हों।

घुसपैठियों की समस्या का समाधान

- 07 घुसपैठ से कुछ क्षेत्रों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान में भारी परिवर्तन हुआ है और स्थानीय लोगों की आजीविका तथा रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिकता पर एन आर सी का कार्य किया जाएगा। देश में चरणबद्ध तरीके से चिन्हित करके इसे लागू करेंगे।
- 08 पूर्वोत्तर क्षेत्रों में Illegal Immigration रोकने के लिए प्रभावी प्रयत्न किए जाएंगे। इसके लिए हम देश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए तकनीक के प्रयोग (स्मार्ट फेंसिंग) का पायलट प्रोजेक्ट धुबरी (असम) में लागू किया गया था, उसको हम सभी सीमाओं पर लागू करेंगे।



सीमा सुरक्षा सुदृढ़ करेंगे

- 09 हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष ध्यान देंगे, जिससे कि ये क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने में और भी अधिक मजबूती से योगदान करने के साथ-साथ, अन्य क्षेत्रों के बराबर, देश की उत्तरोत्तर प्रगति से पूरी तरह और भी अधिक लाभ ले सकें।
- 10 अपने पड़ोसी देशों से व्यापार एवं यात्रियों के आवागमन में सहूलियत लाने के लिए 6 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण किया गया है और एक निर्माणाधीन है। हम इस कार्य को और आगे बढ़ाते हुए 2024 तक 14 और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण करेंगे, ताकि हमारा पड़ोसी देशों के साथ व्यापार एवं यात्रियों के आवागमन में और अधिक सहूलियत हो सके। इनके निर्माण के बाद अनुमान है कि हमारा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ व्यापार मुख्यतः इन्हीं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के द्वारा होगा।

तटवर्ती सुरक्षा

- 11 हम राज्यों में तटवर्ती पुलिस थानों की स्थापना, समुद्री एवं तटवर्ती सुरक्षा सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय समिति की स्थापना, द्वीप सूचना प्रणाली एवं राष्ट्रीय तटवर्ती पुलिस अकादमी के लिए आधुनिक उपकरण प्रदान करने एवं धन आवंटित करने हेतु तटवर्ती सुरक्षा योजना लागू कर तटवर्ती सुरक्षा को प्रभावी रूप से सुदृढ़ बनाएंगे। इसके उपरांत हम भारत की लंबी तटसीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाना जारी रखेंगे।

सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल (सीएबी)

- 12 हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल (सीएबी) को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम पूर्वोत्तर राज्यों से उन वर्गों के लिए मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए सभी प्रयास करेंगे, जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है। हम पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।
- 13 भारत के पड़ोसी देशों से आए सभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को उन देशों में धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर भारत में नागरिकता दी जाएगी।

वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला

- 14 हमने वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध बहुत सख्त कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप इन उग्रवादियों का कार्य क्षेत्र सिमट कर रह गया है। अगले पांच वर्षों में हम इसके विरुद्ध और अधिक कारगर कदम उठाएंगे, जिससे कि अगले पांच वर्षों में इस खतरे को दूर करने में हम सफल हो सकें। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इस क्षेत्र में हमने विकास के कार्यों, जिसमें सड़क, मोबाइल फोन, स्कूल, चिकित्सा सेवा शामिल है, पांच वर्षों में बहुत प्रगति की है। हम इस कार्य को और ज्यादा गति से चलाएंगे ताकि ये पिछड़े क्षेत्र भी इन सुविधाओं के लाभ से आगे आ सकें।

जम्मू-कश्मीर- धारा 370

- 15 पिछले पांच वर्षों में हमने निणायक कार्रवाई और एक दृढ़ नीति के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए हैं। राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने और राज्य के हर क्षेत्र के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम जनसंघ के समय से अनुच्छेद 370 के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराते हैं।
- 16 हम धारा 35A को भी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि धारा 35A जम्मू कश्मीर के गैर-स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। यह धारा जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधा है। राज्य के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हम सभी कदम उठाएंगे। हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे और हम पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) और छंब से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।



किसानों की आय दोगुनी

भाजपा सरकार के वर्तमान कार्यकाल के प्रारंभ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने को मिशन के रूप में लिया। हम इस लक्ष्य को 2022 तक पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

किसान कल्याण नीति

- 01 **सभी के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** - हमने 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों के लिए आय सहायता सुनिश्चित करने के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' आरंभ की है। हम इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसे देश के सभी किसानों के लिए लागू करेंगे।
- 02 **छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन** - हम देश में सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन की योजना आरंभ करेंगे, जिससे कि 60 वर्ष की आयु के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- 03 **कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश** - हम कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने को प्रतिबद्ध हैं।
- 04 **ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड ऋण** - हम 1 से 5 वर्ष के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपये तक के नए अल्पावधि कृषि ऋण मूल राशि के समय पर भुगतान की शर्त पर प्रदान करेंगे।
- 05 **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्वैच्छिक पंजीकरण** - 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' ने सुनिश्चित किया है कि किसानों के लिए जोखिम कम हो और उन्हें बीमा की सुरक्षा मिले। हम इस योजना के तहत किसानों के स्वैच्छिक पंजीकरण का प्रावधान करेंगे।
- 06 **नीतियों के जरिए किसानों का सशक्तिकरण** - हम कृषि आयात में कमी लाने और अनुमान-योग्य कृषि निर्यात एवं आयात नीति बनाने की दिशा में काम करेंगे, जिसमें कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने तथा आयात को कम करने की एकीकृत व्यवस्था होगी।
- 07 **गुणवत्तापूर्ण बीजों का वायदा** - हम यह सुनिश्चित करेंगे कि संभावनायुक्त किस्मों के बेहतर बीज किफायती दरों पर किसानों को समय से उपलब्ध हों और घर के पास ही उनकी जांच की सुविधा उपलब्ध हो।

कृषि सहयोगी क्षेत्रों का विकास

- 08 **तिलहन मिशन** - हम तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक नया मिशन आरंभ करेंगे।
- 09 **देश भर में वेयरहाउस नेटवर्क** - हम एक कुशल कृषि मूल्य शृंखला सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत भंडारण और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
 - किसानों की आय बढ़ाने के उपाय के रूप में भंडारण पर हमारा ध्यान हमारी प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना से रेखांकित होता है। देश में भंडारण के आधारभूत ढांचे को और विस्तृत करने के लिए हम राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे राष्ट्रीय वेयरहाउसिंग ग्रिड स्थापित करेंगे, ताकि कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सुविधाएं सुनिश्चित हो सकें।
 - किसानों को अपनी उपज का भंडारण अपने गांव के निकट करने तथा उचित समय पर उसे लाभकारी मूल्य पर बेचने के लिए सक्षम करने के उद्देश्य से हम कृषि उत्पादों के लिए नई 'ग्राम भंडारण योजना' आरंभ करेंगे। हम कृषि उत्पादों की भंडारण रसीद के आधार पर किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराएंगे।



10 जैविक खेती को बढ़ावा - जैविक खेती को अधिक-से-अधिक बढ़ावा देने और जैविक खेती को लाभप्रद बनाने के लिए, हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे:

- हम अगले पांच वर्षों में पहाड़ी, आदिवासी एवं वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर रसायन मुक्त जैविक खेती को प्रोत्साहित करेंगे।
- हम उपभोक्ताओं के दरवाजे तक जैविक उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक समर्पित ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू करेंगे।
- देश में गोशालाओं को जैविक खेती के प्रोत्साहन के साथ जोड़ा जाएगा।
- हम जैविक खेती वाले क्षेत्र के आसपास जैविक ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देंगे जिससे किसानों के लिए अतिरिक्त आय भी सुनिश्चित हो सके।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन

- 11 किसानों के लिए अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने के लिए हम 'राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन' का आरंभ करेंगे। हम बुनियादी ढांचागत सुविधाएं विकसित कर तथा विपणन के लिए सहायता उपलब्ध कराकर, शहद उत्पादन को 11,500 टन के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर दोगुना करेंगे।

सिंचाई का मिशन मोड पर विस्तार

- 12 हमने काफी समय से लंबित 31 सिंचाई परियोजनाओं का कार्य 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के अंतर्गत प्राथमिकता से पूरा कर लिया है और शेष 68 परियोजनाओं का काम दिसंबर, 2019 तक चरणों में पूरा कर लिया जाएगा। सिंचाई के विकास के अपने प्रयास जारी रखते हुए हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का और भी विस्तार करेंगे ताकि समयबद्ध तरीके से देश की 100 प्रतिशत सिंचाई क्षमता का उपयोग हो सके।
- 13 हम एक करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि को सूक्ष्म-सिंचाई के अंतर्गत लाएंगे। इसके साथ ही उर्वरकों के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'फर्टिगेशन' का सहारा लिया जाएगा।

कोऑपरेटिव

- 14 हम मानते हैं कि सहकारी संस्थाएं और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) कृषि क्षेत्र में बाजार तक बेहतर पहुंच एवं अवसर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम उनकी सहायता करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- 15 हम संसाधनों और बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाने हेतु वर्ष 2022 तक 10,000 नए 'किसान उत्पादक संगठनों' के गठन में सहायता करेंगे।
- 16 बड़े शहरों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, हम किसानों के सहकारी संगठनों के जरिए सब्जियों, फलों, दूध एवं मत्स्य उत्पादों की सीधी मार्केटिंग प्रणाली स्थापित करेंगे ताकि किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत मिल सके।

कृषि और प्रौद्योगिकी का मेल

- 17 हम किराए पर कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुगम करने के लिए मोबाइल पर आधारित प्रणाली तैयार करेंगे।
- 18 हम किसानों के लिए विभिन्न कृषि उत्पादों के बाजार मूल्यों की बेहतर जानकारी सुनिश्चित करने हेतु तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देंगे।



- 19 हम युवा कृषि वैज्ञानिकों के विकास पर विशेष ध्यान देंगे ताकि सटीक अनुमान वाली एवं अधिक लाभदायक खेती के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, बिग डेटा एनालिटिक्स आदि का लाभ उठाया जा सके।
- 20 हम सौर ऊर्जा को किसानों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत की तरह देखते हैं और इसीलिए हम बड़े स्तर पर सौर फार्मिंग को बढ़ावा देंगे ताकि 'अन्नदाता' 'ऊर्जादाता' भी बन सके।
- 21 **भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण** - आधार परियोजना की तर्ज पर हम मिशन मोड पर भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पूरा करेंगे। हम दूसरी पीढ़ी के भूमि सुधार लागू करेंगे ताकि भूमिधारकों को मालिकाना हक की गारंटी मिले और जमीन से जुड़े मुकदमे कम हो सकें। हम (राज्यों के साथ सलाह कर) निश्चित स्वामित्व अधिकार का आदर्श कानून तैयार करेंगे जिसके माध्यम से भूस्वामित्व की सुनिश्चितता और बीमा को बढ़ावा मिले। इसे लागू करने के लिए हम राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे।

पशुपालन

- 22 हमने डेयरी उद्योग को विशेष महत्व दिया है और मवेशियों की देसी नस्लों के संरक्षण हेतु कामधेनु आयोग स्थापित किया है। हम किसानों को घर के नजदीक सेवा प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सालयों का नेटवर्क स्थापित करेंगे।
- 23 हम समय-समय पर सभी मवेशियों और अन्य पालतू जानवरों के स्वास्थ्य जांच के लिए जिला स्तर पर एक आदर्श कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से पशु चिकित्सकों की मदद ली जाएगी।
- 24 हम पशु टीकाकरण को और व्यापक बनाएंगे और खुरपका और मुंहपका तथा बुसेलोसिस रोग का संपूर्ण उन्मूलन करेंगे।
- 25 हम चारे की कमी दूर करने के लिए 'राष्ट्रीय चारा एवं पशुआहार मिशन' आरंभ करेंगे।

नीली क्रांति

- 26 हम छोटे एवं पारंपरिक मछुआरों की सुविधा के लिए आइस-बॉक्स, कोल्ड स्टोरेज, आइस-प्लांट जैसे भंडारण एवं मार्केटिंग के साधनों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 'मत्स्य संपदा योजना' आरंभ करेंगे।
- 27 हम जलकृषि (एक्वा कल्चर) को बढ़ावा देने के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराएंगे।
- 28 हम समुद्री वनस्पतियों और मोती की खेती एवं सजावटी मछलियों के पालन को बढ़ावा देंगे ताकि मछुआरों की आय में बढ़ोतरी हो सके।
- 29 हम सभी मछुआरों को हर तरह के कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाएंगे और अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवर का लाभ भी प्रदान करेंगे।

ग्राम स्वराज

- 30 ग्राम स्वराज महात्मा गांधी की भारत की परिकल्पना के प्रमुख स्तंभों में से एक है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी हर किसी को समुचित संसाधन उपलब्ध कराते हुए ग्राम स्वराज का उनका सपना पूरा करने का संकल्प लेती है। 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के पवित्र अवसर पर हम महात्मा गांधी की परिकल्पना के अनुसार ग्राम स्वराज के आदर्श को अपनाने का प्रण करते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार हम वादा करते हैं:
- 31 साश्रय: हम वर्ष 2022 तक ऐसे प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देंगे, जो कच्चे मकान में रहता है या जिसके पास मकान ही नहीं है।



ग्राम स्वराज

ग्राम स्वराज महात्मा गांधी की भारत की परिकल्पना के प्रमुख स्तंभों में से एक है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी हर किसी को समुचित संसाधन उपलब्ध कराते हुए ग्राम स्वराज का उनका सपना पूरा करने का संकल्प लेती है। 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के पवित्र अवसर पर हम महात्मा गांधी की परिकल्पना के अनुसार ग्राम स्वराज के आदर्श को अपनाने का प्रण करते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार हम वादा करते हैं:



साश्रय :

हम वर्ष 2022 तक ऐसे प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देंगे, जो कच्चे मकान में रहता है या जिसके पास मकान ही नहीं है।



सुजल :

हम 'जल जीवन मिशन' आरंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत हम वर्ष 2024 तक प्रत्येक परिवार को पाइप से पानी की आपूर्ति के लिए विशेष कार्यक्रम 'नल से जल' चलाएंगे।



सूचना से सशक्तिकरण :

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 2022 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ जाए।



सड़क से समृद्धि :

हम ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों और बाजारों को गांवों से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर 'ग्रामीण सड़क उन्नयन कार्यक्रम' आरंभ करेंगे।



स्वच्छता से संपन्नता :

हम तरल अपशिष्ट जल के 100 प्रतिशत निपटान तथा अपशिष्ट जल का पुनर्प्रयोग सुनिश्चित करेंगे।



विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर भारत

5 ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था की रूपरेखा

- 01** सन 2014 में भारत को 'फ्रैंजाइल फाइव' (पांच कमजोर देशों) में गिना गया था। पांच वर्ष के भीतर भारत ने एक ख्याति अर्जित की, जो न केवल विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है बल्कि आर्थिक रूप से स्थिर भी है। हम विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहले ही बन चुके हैं और जल्द ही शीर्ष पांच में शामिल हो जाएंगे। हम सन 2030 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि हम सन 2025 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर और सन 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लेते हैं।
- 02** सन 1991 के बाद की सभी सरकारों से तुलना करें तो मोदी सरकार ने पिछले पांच वर्ष में औसत जीडीपी वृद्धि की सबसे अधिक दर (7.3 प्रतिशत) प्राप्त कर दिखाई है और इस दौरान औसत / उपभोक्ता महंगाई की दर सबसे कम (4.6 प्रतिशत) रही है। उपभोक्ता महंगाई इस समय 2.6 प्रतिशत है। इसके साथ ही जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा कम रहा और चालू खाते का घाटा और भी कम रहा है। औसत राजकोषीय घाटा 2009 से 2014 के बीच 5.4 प्रतिशत था, जो 2014 से 2019 के बीच घटाकर 3.7 प्रतिशत पर ला दिया गया। राजकोषीय घाटे में इतनी कमी का अर्थ है कि आने वाली पीढ़ियों पर 16 लाख करोड़ रूपए का कर्ज कम होगा। इस सरकार के कार्यकाल में चालू खाते का औसत घाटा कम होकर जीडीपी का 1.5 प्रतिशत रह गया, जो 2009 से 2014 के बीच 3.3 प्रतिशत था।

कर नीति

- 03** कम कर और निवेश आधारित वृद्धि हमारी आर्थिक कर नीति की दर को कम करने और अनुपालन या सहमति बढ़ाने तथा इस तरह कर का आधार व्यापक बनाने के सिद्धांत पर चलती रही है। अनुपालन और कर आधार बढ़ने से कर एवं जीडीपी का अनुपात 2013-14 के 10.1 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले कुछ वर्षों का सर्वाधिक आंकड़ा है। इस बड़े राजस्व का उपयोग गरीबों को लाभ पहुंचाने और अभूतपूर्व स्तर पर बुनियादी ढांचा बनाने में किया गया है। हम कर की दर घटाने की नीति को जारी रखेंगे जिससे ईमानदार करदाता को फायदा होगा और रोजगार स्वीकृति बढ़ेगी।

वस्तु और सेवा कर

- 04** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण कर की दरों में कमी आयी है और राज्यों में विशेष रूप से राजस्व संग्रह बढ़ा है। 2015-16 के आधार वर्ष से तुलना करें तो सभी राज्यों के लिए जीएसटी राजस्व तीन वर्ष में 50 प्रतिशत बढ़ गया है। हम सभी हितधारकों से बातचीत कर जीएसटी की प्रक्रिया को सरल करते रहेंगे।

100 लाख करोड़ रुपये का निवेश

- 05** हम देश में पूंजीगत निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और गरीबों और किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करेंगे। सन 2024 तक हम बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रूपए का पूंजीगत निवेश करेंगे। हम समझते हैं कि निवेश पर आधारित वृद्धि के लिए पूंजी की लागत कम होनी चाहिए। महंगाई को 4 प्रतिशत पर रोककर और अपनी बैंकिंग प्रणाली को सुगम बनाकर हमने पूंजी की लागत को व्यवस्थागत रूप से कम कर दिया है। इससे न केवल बुनियादी ढांचा निवेश को मदद मिलेगी, बल्कि व्यापक तौर से अर्थव्यवस्था में निवेश होगा। इस तरह निवेश आधारित वृद्धि की बुनियाद पर नया भारत बनाया जाएगा।

मेक इन इंडिया

- 06** भारत को ज्ञान आधारित, कौशल समर्थित एवं तकनीक से चलने वाला समाज बनाने के लक्ष्य के साथ हमने 'मेक इन इंडिया' अभियान आरंभ किया है। हमने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे नवाचारों के जरिए शुरुआत पहले ही कर दी है। तीव्र एवं समावेशी वृद्धि के लिए हमने पिछले कुछ वर्षों में विनियमन एवं लाइसेंस समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण सुधार भी किए हैं, जिनका लक्ष्य कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस) बढ़ाना है।



एफडीआई को 90 प्रतिशत से अधिक मंजूरी अब स्वतः मिल जाती है। पिछले पांच वर्षों में एफडीआई में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार जीएसटी के जरिए 'एक राष्ट्र, एक कर' लागू करने से सभी प्रकार के कारोबार एक ही कर-प्रणाली के अंतर्गत आ गए हैं।

07 भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना - हम अगले पांच वर्ष में भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना चाहते हैं, इसलिए हम निम्न कदम उठाएंगे:

- **कारोबारी सुगमता की सूची में शीर्ष 50 में शामिल होना** - पिछले चार वर्ष में भारत विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में 65 पायदान ऊपर आ गया है। हम देश को शीर्ष 50 में शामिल करने के लिए इस दिशा में काम करते रहेंगे।
- **कंपनी अधिनियम को मजबूत बनाना** - कानून के अनुपालन हेतु प्रोत्साहित करने और कारोबार को सुगम बनाने के लिए हम कंपनी अधिनियम में संशोधन करेंगे और मामूली तकनीकी तथा प्रक्रियागत आर्थिक अपराधों के मामलों को दीवानी देनदारी माना जाएगा, ताकि अदालतों में इस तरह के ज्यादातर मुकदमों में समाप्त हो जाए।
- **नई औद्योगिक नीति** - हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए विनिर्माण एवं सेवाओं की प्रतिस्पर्धा सुधारने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति की घोषणा करेंगे, ताकि उद्योग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी नई तकनीकों के लिए तैयार हो सकें। एमएसएमई के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
- **विकास के लिए नेटवर्क की पहुँच** - हम जानते हैं कि अत्याधुनिक उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तैयार करने के लिए क्लस्टरिंग और नेटवर्क प्रभाव कितने अहम हैं। इसीलिए हम ऐसे क्लस्टर/नेटवर्क तैयार करने में निवेश करेंगे, जो दुनिया के सबसे अच्छे उद्योगों से टक्कर ले सकें। इन क्लस्टरों का निर्माण करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक खरीद एवं सरकारी प्रोत्साहनों का सक्रिय प्रयोग किया जाएगा।

जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाना

08 खनन क्षेत्र को अधिक-से-अधिक सबल बनाने के लिए हम राष्ट्रीय निगरानी निकाय गठित करेंगे, जिसमें प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि होंगे। साथ ही हम प्रत्येक राज्य में एक कार्यालय भी बनाएंगे, ताकि पट्टे (लीज) लेकर उत्पादन करने तक की अनुमति प्राप्त करने में कम समय लगे।

सुक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम

09 एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष पैकेज आरंभ किया। भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना इसका महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें एमएसएमई को ऋण की गारंटी दी जाती है। इसके अंतर्गत 2017-18 में ही लगभग 19,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए। 2024 तक इस आंकड़े को 1,00,000 करोड़ रुपए पर पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है।

10 एमएसएमई क्षेत्र में तकनीक की उपलब्धता एवं सुधार महत्वपूर्ण घटक हैं। हमारी सरकार ने 'तकनीकी केंद्रों' का विस्तार कर बड़ा कदम उठाया है और हम 2024 तक देश भर में ऐसे 150 केंद्र बनाएंगे। ये तकनीकी केंद्र एमएसएमई को कौशल प्रदान करने तथा आदर्श एमएसएमई तैयार करने में मदद करेंगे। वे एमएसएमई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रिअलिटी, ब्लॉकचेन तकनीक तथा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट से परिचित कराएंगे।

11 तकनीकी केंद्र, एमएसएमई के अन्य कौशल केंद्र तथा एनएसआईसी के प्राथमिक केंद्र ही हर वर्ष 6 लाख से अधिक लोगों को उच्च स्तर का कौशल प्रदान करेंगे।

12 छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा

- हम राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित करेंगे और खुदरा कारोबार की वृद्धि के लिए राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति बनाएंगे।
- छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए हम जीएसटी के तहत पंजीकृत सभी व्यापारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराएंगे।



- किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर हम पंजीकृत व्यापारियों को व्यापारी क्रेडिट कार्ड देने की योजना भी लाएंगे।

उद्यमशीलता एवं स्टार्टअप

- 13 युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिए हम उद्यमियों को 50 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी सिक्योरिटी के देने की नई योजना लाएंगे। हम महिला उद्यमियों के ऋण की 50 प्रतिशत राशि और पुरुष उद्यमियों के ऋण की 25 प्रतिशत राशि की गारंटी देंगे।
- 14 भारत अब दुनिया में सबसे अधिक स्टार्टअप वाली व्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। इस व्यवस्था को और सबल बनाने के लिए हम निम्न कदम उठाएंगे:
 - स्टार्ट-अप के लिए नियामकीय आवश्यकताएं सरल बनाना;
 - कर अनुपालन में हर महीने 1 घंटा खर्च करना;
 - सन 2024 तक देश में 50,000 नए स्टार्टअप स्थापित करने में मदद करना;
 - शहरी स्थानीय निकायों में 100 इनोवेशन जोन तैयार करना;
 - सन 2024 तक 500 नए इनक्यूबेटर और एक्सीलेरेटर स्थापित करना;
 - केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का स्टार्टअप के साथ कितना संपर्क रहा और उन्होंने नवाचार तथा नई प्रौद्योगिकियों, वैश्विक प्रक्रियाओं एवं कौशल को कितना अधिक अपनाया, इसी आधार पर उनकी रैंकिंग आरंभ करना
- 15 हम 20,000 करोड़ रुपए के 'सीड स्टार्टअप फंड' की स्थापना कर स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना जारी रखेंगे।
- 16 हम अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों द्वारा आरंभ किए गए उद्यमों की सहायता करेंगे।
- 17 हम पूर्वोत्तर राज्यों में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने एवं वहां रोजगार सृजन के लिए नई 'उद्यमशील उत्तरपूर्व' योजना की स्थापना करेंगे।

क्लस्टर सेवाओं के लिए पर्यटन का प्रयोग

- 18 सेवा क्षेत्र के भीतर पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यह विभिन्न सेवा क्षेत्रों को एक साथ समेट लेता है।
- 19 विशेष रूप से, हम सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक महत्व के विशिष्ट स्थानों की पहचान करेंगे, ताकि उन्हें अलग-थलग छोड़ने के बजाय समग्र पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सके। इसके लिए हमें परिवहन संपर्क, धरोहर संरक्षण, होटल, रेस्तरां, मनोरंजन तथा अन्य सेवाओं को एकीकृत रूप में देखना होगा। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि ये सभी सेवाएं आपस में जुड़ी रहें। इसीलिए सरकार सुनिश्चित करेगी कि स्वच्छ भारत जैसी योजनाएं/ एजेंसियां, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन; पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग के साथ मिलकर काम करें। भारत में सभी यूनेस्को धरोहर स्थलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- 20 पूर्वोत्तर के राज्यों और हमारे द्वीपीय/ तटवर्ती क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, लेकिन उनके पारिस्थितिक विविधता को संरक्षित किया जाएगा। इसी प्रकार सांस्कृतिक महत्व के स्थल विकसित किए जाएंगे, लेकिन उनकी विशिष्ट धरोहर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हाल ही में वाराणसी में हमने परियोजनाओं में जो कर दिखाया है, उसी तर्ज पर इन स्थलों की ऐतिहासिक/सांस्कृतिक धरोहर के प्रति संवेदनशील रहते हुए इनका विकास करने के सभी प्रयास किए जाएंगे।



पारदर्शी अर्थव्यवस्था

- 21 देश के ईमानदार करदाताओं तथा गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए बेनामी संपत्तियों और विदेशी बैंकों में मौजूद अवैध खातों पर शिकंजा कसा जाएगा। हम भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत वापस लाने और उनके अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए अपनी कार्रवाई तेज करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार

- 22 हम स्व-घोषणा आदि के साथ क्लीयरेंस प्रक्रियाओं को सुगम बनाकर और नई स्कैनिंग प्रौद्योगिकी अपनाकर अंतरराष्ट्रीय कारगो की कस्टम से त्वरित निकासी सुनिश्चित करेंगे। हम नियतकों तथा नियति संगठनों को निर्माण की क्षमता के लिए एवं अबाध निर्यात सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु पर्याप्त वित्तीय एवं संस्थागत सहायता भी उपलब्ध कराएंगे।



नए भारत की बुनियाद

आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यूपीए सरकार के 10 साल लंबे कार्यकाल में नीतियों के लचर पड़ने और अकूत भ्रष्टाचार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पूरी तरह रुक गया था। पिछले पांच साल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बुनियादी ढांचे के विकास ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। पहली बार भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं में वैश्विक मापदंडों के पथ पर अग्रसर है। ग्रामीण इलाकों में सड़क बनने की गति दोगुनी हो गई है और 90 प्रतिशत तक ग्रामीण रोड कनेक्टिविटी हासिल कर ली गई है। इसके अलावा भारत बिजली का निर्यातक देश बन चुका है। आज देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक एवं एलईडी बल्बों का वितरक बन गया है। पोर्ट क्षमता का अभूतपूर्व विकास हुआ है और नई रेल लाइनों को बिछाने में, गेज परिवर्तन और रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण का कार्य दोगुनी गति से हो रहा है। पिछले पांच वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व निवेश किया है। इसमें रेल, सड़क, स्वास्थ्य और शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। हमने प्रगति 'प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन' नामक नया और विकसित तकनीक-आधारित प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसके जरिए देशभर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अटकी हुई परियोजनाओं को गति देने का काम हो रहा है। हमारी पीपीपी व्यवस्था अब निवेशकों के लिए और सुलभ हो गई है।

- 01 हम गैस ग्रिड, वाटर ग्रिड, आय-वे (I-Way), घरेलू हवाई अड्डों और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों पर सुविधा जैसी अगले स्तर की बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देंगे।
- 02 अधिक-से-अधिक निजी और सरकारी निवेश के साथ हम तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का काम जारी रखेंगे और जमीनी स्तर पर परियोजनाओं के प्रबंधन के माध्यम से जीवन स्तर को बेहतर बनाने और जीवन को आरामदायक बनाने के लिए तत्पर रहेंगे।
- 03 अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ इससे रोजगार की कई संभावनाएं पैदा होंगी।

शहरी विकास को प्राथमिकता

- 04 इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास के जरिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उपनगरी बस्तियों और नए शहरी केंद्रों का विकास हो सके।
- 05 हम शहरी मुद्दों पर उत्कृष्ट पांच स्थानीय केंद्र स्थापित करेंगे। इन केंद्रों के माध्यम से राज्यों एवं स्थानीय इकाइयों को भी शहरी सुशासन और विकास के मुद्दों पर सहयोग प्रदान करेंगे।
- 06 शहरी मोबिलिटी - हम एक राष्ट्रीय शहरी मोबिलिटी मिशन आरंभ करेंगे जिसका उद्देश्य सभी स्थानीय शहरी निकायों को शहरी मोबिलिटी समाधान प्रदान करना और लोगों को सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग, साइकिल का प्रयोग और पैदल चलने के लिए प्रेरित करना है। इस मिशन के अंतर्गत हम शहरों को सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, लोकल बस, ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा सेवा, पैदल पार पथ और साइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही हम एक समान मोबिलिटी कार्ड/टिकट के इस्तेमाल को अलग-अलग परिवहन के साधनों के लिए जारी करेंगे।
- 07 अगले पांच सालों में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 50 शहरों में मेट्रो का सशक्त नेटवर्क विकसित हो।

स्वच्छ भारत मिशन

- 08 हमने अपनी प्रमुख योजना 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया। अब हम अपने इस मिशन को नया आयाम देंगे और हर गांव में सतत ठोस कचरा प्रबंधन लागू करेंगे। हम हर गांव, उपनगर और बिना नालियों वाले क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट के पूर्ण निस्तारण को मल-प्रबंधन और गंदे पानी के पुनः इस्तेमाल के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।



- 09 हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बस्तियां पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त होने का दर्जा प्राप्त कर लें, और जिन्होंने यह दर्जा प्राप्त कर लिया है, वे इसे आगे भी बनाए रखें।

जल शक्ति

- 10 पानी बेहद महत्वपूर्ण संसाधन है लेकिन इसका प्रबंधन केंद्रीय स्तर पर भी कई विभागों के माध्यम से होता है। हम जल प्रबंधन के लिए एक नया मंत्रालय बनाएंगे। इस मंत्रालय का उद्देश्य जल प्रबंधन के मामले पर बेहतर प्रयास सुनिश्चित करना और इसे नई दिशा देना होगा। यह मंत्रालय देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी नदियों को जोड़ने का अटल जी का सोचा हुआ महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को द्रुत गति से आगे बढ़ाएगा जिससे पीने योग्य पानी एवं कृषि सिंचाई समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए एक ऑथोरिटी बनाकर काम की शुरुआत करेंगे।
- 11 हम 'जल जीवन मिशन' की शुरुआत करेंगे जिसके तहत 'नल से जल' कार्यक्रम के माध्यम से 2024 तक हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराएंगे।
- 12 हम पानी की उपलब्धता में स्थिरता बनाए रखने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण जल संसाधन के संवर्धन और ग्राउंड वाटर रीचार्ज पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

मार्ग

- 13 तेज गति से चल रहे सड़कों के निर्माण के कार्य को आने वाले पांच सालों में हम अभूतपूर्व गति प्रदान करते हुए 60,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सुनिश्चित करेंगे।
- 14 2022 तक हम राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को दोगुना करेंगे।
- 15 हम भारतमाला परियोजनाओं के पहले चरण को तेजी से पूरा करेंगे। दूरगामी क्षेत्रों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली और संपर्क स्थापित कर ऐसे इलाकों में विकास की गति को बल देने वाली भारतमाला 2.0 परियोजना को भी हम आरंभ करेंगे।
- 16 सड़कों के निर्माण, रखरखाव और कार्य के लिए हम नई तकनीक लाएंगे।
- 17 हम विश्व में भारत को ई-मोबिलिटी में अग्रणी बनाना चाहते हैं। स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए और बैटरी से चलने वाले वाहनों को लोगों के बीच और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए निर्धारित कार्यक्रम के तहत 10 हजार करोड़ रूपए का आवंटन हो चुका है। हम मोबिलिटी के इस नए अंशुभव को अधिक विस्तार देने पर और काम करेंगे।

रेलवे

- 18 हमने रेल यात्रा को सुरक्षित, सुलभ, स्वच्छ और आरामदायक बनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं और हमने इसमें पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। हम इस दिशा में आगे कार्य जारी रखेंगे और रेलवे की सुविधाओं एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी भागीदारी से विकास करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।
- 19 जिन रेल मार्गों पर संभव होगा उन्हें 2022 तक ब्रॉड गेज में बदल दिया जाएगा।
- 20 2022 तक सभी रेल पटरियों का विद्युतीकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
- 21 हम संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 'वंदे भारत एक्सप्रेस' जैसी कई और हाई-स्पीड ट्रेनों की शुरुआत अलग-अलग मार्गों पर करेंगे जिससे अगले पांच वर्षों में देश के हर कोने में रेल मार्ग के जरिए पहुंचा जा सके।
- 22 हम फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को 2022 तक पूरा कर लेंगे।
- 23 हम देशभर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक विस्तृत योजना आरंभ करेंगे।



24 हम 2022 तक सभी मुख्य स्टेशनों पर वाई-फाई उपलब्ध कराएंगे।

हवाई अड्डे

25 2014 में देश में 65 कार्यात्मक हवाई अड्डे थे और आज कुल 101 कार्यात्मक हवाई अड्डे हैं। अगले पांच वर्षों में, हम कार्यात्मक हवाई अड्डों की संख्या को दोगुना कर देंगे।

तटीय क्षेत्रों का विकास

26 परिवहन, पर्यटन और तटीय समुदायों के आर्थिक उत्थान से अछूता रहने के कारण देश के तटीय क्षेत्रों की क्षमता का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। सागरमाला परियोजना के जरिए हम इस क्षेत्र में भरपूर विकास करेंगे। हम इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

27 अगले पांच वर्षों में बंदरगाह क्षमता को दोगुना करेंगे।

28 हम तटीय क्षेत्रों में तटीय शहरों, तटीय परिवहन और तटीय औद्योगीकरण के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करेंगे।

29 इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास के माध्यम से आंतरिक इलाकों को तट से जोड़ते हुए सुलभ परिवहन सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे।

30 हम आंतरिक जलमार्गों के विकास को जारी रखते हुए कार्गो के परिवहन को सड़क और रेल मार्गों से साथ-साथ जल मार्गों में भी प्रोत्साहित करेंगे।

ऊर्जा

31 हमने सभी देशवासियों को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था और यह प्रसन्नता की बात है कि देश ने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है; शीघ्र बचे हुए सभी घरों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

32 देश ने बिजली पैदा करने में, ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में और देशभर में ट्रांसमिशन ग्रिड स्थापित करने में असाधारण काम किया है। इन गौरवपूर्ण उपलब्धियों के साथ भारत अब यह कह सकता है कि देश में बिजली कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत अब बिजली का पूर्णनियतक बन गया है। अब हमारे उद्देश्य हैं:

- पर्यावरण को स्वच्छ रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने की कोशिश करना
- सभी उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करना
- राज्य विद्युत इकाइयों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना और प्रशासनात्मक रूप से बेहतर बनाना।

33 भारत समय-समय पर प्रभावशाली और जरूरी रोकथाम करके जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को दुनिया के समक्ष अत्यंत प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर रहा है। हमने फरवरी 2019 में 76.87 गीगावॉट सकल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त किया है। 2022 तक 175 गीगावॉट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करने का लक्ष्य है। हम इस मामले में अपने प्रयास जारी रखेंगे और इसे लोकप्रिय बनाएंगे। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस में हम विश्व के अन्य देशों को सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करेंगे।

डिजिटल कनेक्टिविटी

34 2022 तक हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। गांवों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जाएंगी; साथ ही टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन और कृषि आधारित परामर्श उपलब्ध करवा जाएगा।



स्वस्थ भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य नीति को देश में लागू किया था। इसके साथ ही हमने दवाइयों की कीमत पर नियंत्रण करने और चिकित्सा शिक्षा को विस्तार देने के लिए कई कार्यक्रम बनाए व लागू किए हैं। हम सभी संसाधनों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनसे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में कमी आए और ये आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से आम लोगों की पहुंच में रहें।

स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता

- 01 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही हमने 2022 तक 1,50,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया है। वर्तमान में 17,150 केंद्र स्थापित हो चुके हैं और सफलतापूर्वक चल रहे हैं। अब हम इन केंद्रों की स्थापना के कार्यक्रम को और विस्तार देंगे। इसके साथ ही हम हर गरीब के दरवाजे पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन 2022 तक टेलिमेडिसिन के प्रावधानों और डायग्नॉस्टिक लैबोरेटरी सुविधाओं (diagnostic laboratory facilities) को लक्षित कर कार्य कर रहे हैं।
- 02 हम जरूरी यंत्रों की एक सूची तैयार करेंगे और चिकित्सक-यंत्रों की एक अलग मूल्य निर्धारण नीति बनाएंगे, ताकि इनकी कीमतों में कमी आए और सामान्य लोगों के बीच इनकी पहुंच बढ़ सके।
- 03 हम आरोग्य डेस्क के माध्यम से भारत को चिकित्सा पर्यटन में शीर्ष पर स्थापित करेंगे। हर बड़े शहर में और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आरोग्य डेस्क की स्थापना से इसका प्रचार किया जाएगा, ताकि भारत के चिकित्सा पर्यटन में विदेशी पर्यटकों की दिलचस्पी बढ़े।

स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ढांचा

- 04 हमारे प्रयासों से हम आज इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि देश में हर तीन संसदीय क्षेत्र के बीच एक अस्पताल उपलब्ध है। इस कदम को आगे बढ़ाते हुए हम 2024 तक निजी या सरकारी सहभागिता से हर जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय या स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करेंगे। आरंभ में 2022 तक ऐसे 75 चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इनके माध्यम से भारत के सब अलग-अलग इलाकों में द्वितीय एवं तृतीय स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 05 केवल पांच साल में हमने एमबीबीएस में सीटों की संख्या 18,000 बढ़ा दी है, वहीं परा-स्नातक चिकित्सा में सीटों की संख्या 12,000 बढ़ाई गई है। हम चिकित्सा क्षेत्र में और अधिक सुधार लाएंगे तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ ही बेहतर व योग्य डॉक्टर बनाएंगे। अपने प्रयासों से हम सन 2024 तक एमबीबीएस और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या को दोगुनी कर देंगे। साथ ही हम पैरा-मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाएंगे, जिससे नर्सों, फार्मासिस्टों और अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

टीकाकरण एवं पोषण

- 06 हम राष्ट्रीय पोषण मिशन को एक जन-आंदोलन के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं और सभी आंगनवाड़ी कर्मियों की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे।
- 07 मिशन इंद्रधनुष के तहत 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया गया है। साथ ही टीकाकरण की वार्षिक दर में 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। 2022 तक हम सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे।



क्षय रोग को समाप्त करना

- 08 किसी अन्य संक्रामक रोग की अपेक्षा टीबी के रोग से सबसे अधिक मौतें होती हैं। वर्तमान में 25 लाख लोग टीबी से पीड़ित हैं, हर साल लगभग 3 लाख लोग टीबी के कारण मर जाते हैं। यह बीमारी ज्यादातर गरीब और कुपोषित व्यक्तियों को होती है। हमने 2025 तक टीबी को भारत से खत्म करने के लिए विशेष मिशन बनाया है। हम यह कोशिश करेंगे कि यह मिशन पोषणयुक्त विकास के तय लक्ष्य से आगे जाकर सफल हो।



सुशासन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा यह माना है कि सुशासन स्वस्थ राजनीति की आधारशिला है. पिछले पांच सालों में मोदी सरकार ने सुशासन की जो एक रूपरेखा रखी है वो अगली पीढ़ियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा।

एक साथ चुनाव

- 01 खर्च घटाने, सरकारी संसाधनों एवं सुरक्षा बलों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और प्रभावी नीति नियोजन के लिए हम संसद एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार का समर्थन करते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस विषय पर सभी पार्टियों के साथ सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।
- 02 **मतदाता सूची में एकरूपता** – सभी सार्वजनिक निकायों में प्रत्येक नागरिक के मताधिकारों को सुनिश्चित करने और एक से अधिक मतदाता सूचियों से उत्पन्न भ्रम या परेशानी से बचने के लिए हम सभी चुनावों में एक सुलभ एकल मतदाता सूची सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत

- 03 भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 और बेनामी लेनदेन निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2016 लागू करने जैसे कई प्रभावी कदम उठाए हैं। हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निर्णायक कार्य सुनिश्चित कर सरकार में चल रही लालफीताशाही समाप्त कर दी है। हम अधिक प्रभावी प्रशासन एवं निर्णय लेने की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखेंगे।

सिविल सर्विस एवं शासन में सुधार

- 04 भारत को विकसित देश बनाने के लिए हमें 'न्यूनतम शासन एवं अधिकतम प्रशासन' के सिद्धांत पर काम करना होगा। इस उद्देश्य के लिए हम एक प्रकार से लोक सेवाओं को नया रूप प्रदान करेंगे तथा प्रशासनिक सुधार लागू करेंगे। नीतियों एवं समन्वय का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए हम समान एवं एक-दूसरे के पूरक विभागों का विलय संबंधित क्षेत्र के मंत्रालयों में करेंगे। इससे नीति-निर्माताओं को सर्वांगीण एवं समग्र नीतियां बनाने में मदद मिलेगी और नीतियों का सुगम क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होगा।
- 05 हम पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की क्षमता का विस्तार करने के लिए और योजनाओं को प्रभावी रूप से जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' का क्रियान्वयन जारी रखेंगे।

पुलिस व्यवस्था में सुधार

- 06 पुलिस लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली सबसे बुनियादी और प्रशासनिक निकाय है। एक प्रभावशाली पुलिसिंग तथा शांतिपूर्ण कानून और व्यवस्था विकास और तरक्की की कुंजी है। हमारी वर्तमान पुलिस और पुलिस व्यवस्था औपनिवेशिक पुलिस प्रणाली पर आधारित है और 21 वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप पुलिस व्यवस्था में सुधार और बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए हम पुलिस व्यवस्था में सुधार लाएंगे। हम नागरिकों के हितैषी और उनके अनुकूल राज्यों के परामर्श से एक 'आदर्श पुलिस अधिनियम' तैयार करेंगे। इससे भारतीय पुलिस व्यवस्था दुनिया के मानकों और समकालीनों के अनुकूल होगी।

न्यायिक सुधार

- 07 न्याय मिलने की गति बढ़ाने के लिए हम प्रक्रियागत कानूनों को सरल बनाने, मध्यस्थता को बढ़ावा देने, न्यायिक एवं न्यायालय प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के कार्य करेंगे।



- 08 भारत बनेगा मध्यस्थता का केंद्र** - हम वैकल्पिक विवाद समाधान मंचों की संख्या में वृद्धि करेंगे ताकि कानूनी मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। हम भारत को मध्यस्थता सेवाओं का केंद्र बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।
- 09 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** - हम भारत को वित्तीय सेवाओं के केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के निर्माण में तेजी लायेंगे, जिससे देश में एक सशक्त विनियामक ढांचा तैयार होगा। वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहनों को जारी रखते हुए एवं उसे आगे बढ़ाते हम डिजिटल माध्यम से लेनदेन का विस्तार करेंगे।

सहकारी संघवाद को प्रभावकारी तरीके से लागू करना

- 10** हमने नीति आयोग के निर्माण, जीएसटी काउंसिल की स्थापना और सहकारी संघवाद की अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप केंद्रीय योजनाओं के पुनर्गठन जैसे कदमों के माध्यम से समावेशी संघीय शासन की एक रूपरेखा निर्धारित की है। हम नीति निर्माण और शासन के सभी पहलुओं में राज्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेंगे एवं संघवाद को मजबूत करेंगे। हम 14वें वित्त आयोग के सुझावों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

ईज ऑफ़ लिविंग

- 11** हम करों, कारोबारी अनुपालना, नियमों एवं कानूनों जैसे विषयों पर सरकार के साथ नागरिकों के संवाद को सुगम बनाने वाली समिति (CECIG) का गठन करेंगे।
- 12** नागरिक सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हम सेवा आपूर्ति के अधिकार को क्रियान्वित करने का हर संभव मार्ग तलाशेंगे, ताकि नागरिक सशक्त बन सकें।

विज्ञान एवं तकनीकी

- 13** आने वाला समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जनता के विकास के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का है। हम अत्याधुनिक तकनीकों तथा भविष्योन्मुखी तकनीकों के विकास के लिए एक नया विज्ञान मिशन आरंभ करेंगे। इसमें दो सब-मिशन होंगे, जो विशेष रूप से (अ) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन तथा (आ) रोबोटिक अनुसंधान मिशन पर केंद्रित होंगे, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकों की भावी दुनिया में कदम रखना होगा।
- 14** हमारा पहला एजेंडा हमारी जनता है। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हमारा ज्यादातर निवेश केंद्रीय संस्थाओं में होता है। हमारा लक्ष्य इसे राज्य सरकार की संस्थाओं में जाने वाले 95 प्रतिशत छात्रों तक पहुंचाना होगा। राज्यों की साझेदारी में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान के जरिए सरकार के निवेश से यह कार्य किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के हमारे नेटवर्क के साथ साझेदारी में अनुसंधान एवं विकास में उद्योग का निवेश भी बढ़ाया जाएगा।
- 15** हम 'भाषा अनुवाद मिशन' आरंभ करेंगे, जिससे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और मानविकी में अंग्रेजी की सामग्री का किसी भी अन्य भाषा में तुरंत अनुवाद हो सकेगा। इससे देश में प्रत्येक छात्र को सर्वश्रेष्ठ सामग्री दो भाषाओं में उपलब्ध होगी।
- 16** हम मानव स्वास्थ्य के लिए 'जीनोम मिशन' आरंभ करेंगे, जिससे कम-से-कम खर्च वाले नवाचारों के जरिए देश की पूरी जनता को निदान एवं उपचार की नवीनतम सुविधा मिल सके।
- 17** हम अपने समुद्रों की विविधता खंगालेंगे, गहरे समुद्र के लिए मानव चालक दल वाली पनडुब्बी तैयार करेंगे, जिससे संसाधनों का सतत उपयोग हो सके। हम गैर-जीवाश्म ईंधन पर जोर देंगे, जिससे इस क्षेत्र में हमारे शोध अभियान से जुड़े आयात में कमी आए। हम भारत को नई तकनीकों में अगुआ बनाएंगे।
- 18** सुपरकंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम मिशन भारत को इंडस्ट्री 5.0 के लिए तैयार ही नहीं करेंगे बल्कि अगुवाई भी करवाएंगे। 'स्वच्छ भारत अभियान' ने स्वच्छता के एक पक्ष का कार्याकल्प कर दिया है। अब हम कचरे को



ऊर्जा और संपदा में बदलने के लिए नवीनतम तकनीक प्राप्त करने का बड़ा अभियान चलाएंगे। हम देश के भीतर सेमीकंडक्टर विनिर्माण की दिशा में भी प्रयास करेंगे।

- 19 मिशन शक्ति के द्वारा अभूतपूर्व सफलता हासिल करने के पश्चात हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि 'गगनयान' अंतरिक्ष में मानवयुक्त मिशन की हमारी वैज्ञानिक क्षमताओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित कर सके। हम वांछनीय प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान की राह बनाने और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय करके ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण का प्रबंधन करने हेतु 'सामाजिक रूप से प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों में त्वरित अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' शुरू करेंगे।

वन एवं पर्यावरण

- 20 हमने सुनिश्चित किया कि वांछित परियोजनाओं के लिए तीव्र और प्रभावी तरीके से वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल सके, जिसके कारण हमने देश में लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादन बढ़ाया है। हम अपने राष्ट्र को हरा-भरा बनाने के लिए अधिक स्वच्छ तरीके अपनाते हुए इस गति को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- 21 हमने शहरों एवं नदियों में प्रदूषण का स्तर जानने के लिए तकनीकी रूप से बेहतर रणनीतियां एवं तरीके तैयार किए हैं और राष्ट्रीय राजधानी समेत प्रमुख शहरों में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। हम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना को मिशन में बदलेंगे और देश के 102 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सघन कार्टवाई के जरिए हम अगले पांच वर्षों में मिशन में शामिल प्रत्येक शहर में प्रदूषण का स्तर कम-से-कम 35 प्रतिशत नीचे ले आएंगे।
- 22 हम वनवासियों विशेषकर आदिवासी समुदायों के हितों की लगातार रक्षा करेंगे और उन्हें बढ़ावा देंगे। हमने सुदूर वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मकानों और शौचालयों के साथ-साथ सड़क, टेलीफोन संपर्क और रसोई गैस कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया है। हम इस दिशा में अपना कार्य जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हिमालयी क्षेत्रों का संरक्षण

- 23 हम सुनिश्चित करेंगे कि हिमालयी राज्यों में वनों के संरक्षण और संवर्धन की सुविधा प्रदान करने के लिए 'ग्रीन बोनस' के रूप में विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

द्वीपीय क्षेत्रों का विकास

- 24 हमने द्वीप क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए 'द्वीप विकास प्राधिकरण' स्थापित करने जैसे कदम उठाए हैं। हम इन क्षेत्रों की आर्थिक संभावना एवं सामरिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों पर ध्यान देना जारी रखेंगे।
- 25 हम अंडमान-निकोबार तथा लक्षद्वीप की विशिष्ट पहचान को बरकरार रखते हुए और स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे और पर्यटन क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित करेंगे, ताकि यहां के निवासियों के जीवन स्तर और आय में सुधार लाया जा सके।

केंद्र शासित प्रदेशों का विकास

- 26 हम संघ शासित प्रदेशों को विकास और सुशासन का मॉडल बनाएंगे, जहां इनके नागरिकों को उच्च कोटि का जीवन स्तर, नागरिक सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा।

उत्तरपूर्वी राज्यों का विकास

- 27 हमने पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को नियंत्रित कर सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसका लाभ उठाते हुए हम पूर्वोत्तर राज्यों के त्वरित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।



- 28** हम क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूर्वोत्तर राज्य आर्थिक प्रगति में विधिवत भाग लें। हम उत्तर-पूर्व में जल-विद्युत, पर्यटन, बागवानी आदि क्षेत्रों में प्रबल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विकास के कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे।
- 29** हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय पहचान पर्याप्त रूप से संरक्षित रहे और इसे सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम उठाए जाएंगे।



युवा भारत - भविष्य का भारत

न्यू इंडिया के निर्माण में अगली पीढ़ी की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमें एक मजबूत आधारशिला की आवश्यकता है।

युवाओं के लिए नए अवसरों में वृद्धि

- 01** भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले 22 उत्कृष्ट क्षेत्रों (चैंपियन सेक्टर) की पहचान कर, उन क्षेत्रों में निर्णायक नीतियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने का कार्य करेंगे। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए उच्च क्षमतावाले क्षेत्रों जैसे रक्षा एवं फार्मास्युटिकल में रोजगार सृजन की दिशा में कार्य करेंगे।
- 02** **उद्यमिता एवं स्टार्टअप** - युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को विकसित करने हेतु हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे:
 - हम उद्यमियों के लिए 50 लाख तक के कोलेटरल मुक्त ऋण (कोलेटरल-फ्री क्रेडिट) के लिए एक नई योजना लायेंगे। हम महिला उद्यमियों के लिए ऋण राशि के 50% और पुरुष उद्यमियों के लिए ऋण राशि के 25% की गारंटी सुनिश्चित करेंगे।
 - हम उत्तरपूर्वी राज्यों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देने और उत्तर पूर्व में रोजगार सृजन के लिए एक नई उद्यमशील उत्तरपूर्व योजना लाएंगे।
 - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले पांच सालों में उद्यम क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने के लिए 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऋण दिया गया। हम इस योजना का विस्तार करते हुए 30 करोड़ लोगों तक इस योजना का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे।
 - हम 20,000 हजार करोड़ रूपए के 'सीड स्टार्टअप फंड' के जरिए स्टार्टअप्स को लगातार प्रोत्साहित करेंगे और बढ़ावा देते रहेंगे।

प्रशासन में युवा

- 03** **युवाओं को समाज से जोड़ेंगे** - समाज में युवाओं की बढ़ती भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे:
 - हम युवाओं में सामाजिक सरोकार को बढ़ावा देने के लिए स्कूल, अस्पताल, झील, सार्वजनिक उद्यान आदि जैसे सामाजिक संपदाओं को अपनाकर उनका रखरखाव और स्वच्छता सुनिश्चित करने वाले स्व-संगठित समूहों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करेंगे।
 - हम युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन और लत के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए युवाओं में नशामुक्ति के लिए एक विशेष जागरूकता और उपचार कार्यक्रम शुरू करेंगे।
- 04** **नगरीय प्रशासन में युवा** - हम स्थानीय शहरी निकायों में युवाओं के कौशल विकास को प्रोत्साहन व बढ़ावा देने तथा नगर निकायों के मुद्दों के प्रति उनकी समझ को विकसित करने हेतु बड़े पैमाने पर इंटरनीशियल कार्यक्रम को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेंगे।

खेल

- 05** हम राज्य एवं जिला स्तर पर प्रतिभा और योग्यता के अनुसार खिलाड़ियों की पहचान करेंगे; साथ ही पारंपरिक खेलों को



चिह्नित कर उनके खेल तथा क्षेत्र के आधार पर प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे।

- 06 हमने 'खेलो इंडिया' योजना से देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं और हम इस योजना के तहत पर्याप्त संसाधन प्रदान करना जारी रखेंगे ताकि घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। योजना के तहत महिलाओं और आदिवासियों के बीच खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष ध्यान देंगे।
- 07 खेलों को और बढ़ावा देने के लिए, हम शैक्षिक पाठ्यक्रम में खेल के कोर्स को सम्मिलित करेंगे और खिलाड़ियों के विकास हेतु हम एक 'राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड' की स्थापना करेंगे।
- 08 हम खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रत्येक उप-जिले में, केंद्र व राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से, एक मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण में सहयोग करेंगे।
- 09 मौजूदा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तक खिलाड़ियों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए हम एक तंत्र विकसित करेंगे और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए पीपीपी सहित नए मॉडल पर विचार किया जाएगा।
- 10 हम भारत में खेल संस्कृति के व्यापक प्रचार और विस्तार के लिए 'फिट इंडिया' अभियान को बढ़ावा देंगे और अभियान में व्यापक जागरूकता और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार आवश्यक कदम उठाएंगे।



“भारत एक युवा देश है।
एक ऐसा देश जिसकी
प्रमुख आबादी युवा हो
वो देश न केवल अपने,
बल्कि पूरी दुनिया का
भाग्य बदलने की
क्षमता रखता है।”

- श्री नरेन्द्र मोदी



सबके लिए शिक्षा

शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक और ज्ञान के साथ समन्वित करते हुए हमारा प्रयास है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था वैश्विक, वैज्ञानिक, परिणाम-आधारित, ज्ञान-आधारित, सुलभ, समावेशी और आसानी से समझ में आने वाली हो, ताकि विद्यार्थी इस शिक्षा व्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें।

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

- 01 स्कूली शिक्षा को सुलभ और सुदृढ़ बनाने के बाद अब हमारा ध्यान सीखने की गुणवत्ता पर है। हमने पहले ही कई कक्षाओं के लिए सीखने के प्रतिफलों की पहचान कर ली है और हमारी प्राथमिकता है कि अगले पांच सालों में सभी विद्यार्थी इन प्रतिफलों को अर्जित कर लें। इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर हमारा विशेष ध्यान है।
- 02 यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के बच्चों को उनकी प्रतिभा निखारने के पर्याप्त अवसर और उचित वातावरण उपलब्ध करवाएं। इसके लिए हम 'प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम' की शुरुआत करेंगे, जिसके माध्यम से हम प्रतिभाशाली बच्चों को साल में एकबार कुछ समय के लिए एक साथ लाएंगे और उनकी प्रतिभा के विकास के लिए सुविधाएं व संसाधन प्रदान करेंगे। इससे इन बच्चों के बीच मौलिक सोच और इनोवेशन की संस्कृति विकसित होगी।
- 03 हम 'राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान' की स्थापना करेंगे। इन संस्थानों में चार साल का विशेष एकीकृत कोर्स होगा, जो स्कूलों के शिक्षकों में गुणवत्ता के मानक तय करेगा। साथ ही, हम राज्यों को भी इस मॉडल को लागू करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि एक अच्छा शिक्षक ही अच्छी शिक्षा की नींव रखता है।
- 04 हम कक्षाओं में आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध हैं। इसी के चलते हम अपने विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं में 'स्मार्ट क्लासेज' की शुरुआत करेंगे। प्रारंभिक तौर पर हम इनकी शुरुआत माध्यमिक श्रेणी की कक्षाओं से करेंगे।
- 05 केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय अभी भी स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श हैं, इसे ध्यान में रखते हुए हम 2024 तक ऐसे 200 और स्कूल खोलेंगे।

उच्च शिक्षा

- 06 केंद्रीय विधि, इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन संस्थानों में हम अगले पांच सालों में कम से कम 50 प्रतिशत तक सीट बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। हम राज्य सरकारों को भी राज्यों के संस्थानों में सीट बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे।
- 07 पिछले पांच सालों में हमने शिक्षा के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को एक बेहतर विकल्प समझा है और इन्हें महत्व दिया है। अगले पांच सालों में हम इसे उच्च शिक्षा का एक प्रमुख संसाधन बनाकर प्रस्तुत करेंगे।
- 08 हालांकि हमारे पास कुछ विश्वस्तरीय तकनीकी, विज्ञान और चिकित्सा संस्थान हैं लेकिन हमें अन्य क्षेत्रों में भी इस उत्कृष्टता के मॉडल का विस्तार करने की आवश्यकता है। हम कला, संस्कृति और संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, जिसमें संगीत और नृत्य जैसी ललित कलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम एक आधुनिक 'आतिथ्य एवं पर्यटन विश्वविद्यालय' और एक 'पुलिस विश्वविद्यालय' की भी स्थापना करेंगे। राज्यों को भी ऐसे बेहतरीन संस्थानों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 09 हम मौजूदा नियामक संस्थानों के योगदान पर एक बार फिर गौर करेंगे और उनके विधेयकों में आवश्यकतानुसार सुधार अथवा बदलाव करेंगे, जिससे उनके नियामक तंत्र का कार्यापलट हो सके। हम गुणात्मक संस्थानों को स्वायत्त बनाने के लिए नए नियामक-तंत्र स्थापित करेंगे और राष्ट्रीय मानकों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे संस्थानों को शैक्षणिक और कार्यशील रूप से स्वायत्त बनाने के साथ-साथ उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता एवं गुणवत्ता लाने में मदद मिलेगी।
- 10 पिछले पांच सालों में हमारा ध्यान उच्च शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने पर था और उत्कृष्ट संस्थान इस ओर बढ़ाया गया एक कदम है। हम इसे आगे बढ़ाते हुए अगले पांच वर्षों में, यानी 2024 तक ऐसे 50 संस्थान तैयार करेंगे।



- 11 पिछले पांच सालों में हमारे कई संस्थानों ने विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में अपनी जगह बनाई है। हम शैक्षणिक संस्थानों में श्रेष्ठता को बढ़ावा देंगे और अन्य संस्थानों को भी प्रेरित करेंगे कि वे भी विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में अपना नाम दर्ज कराने का प्रयास करें।
- 12 हम 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम को शुरू करके बढ़ावा देंगे, जिससे विदेशी छात्रों के बीच भारत भी उच्च शिक्षा के लिए लोकप्रिय विकल्प बन सके।
- 13 विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नवीन तकनीकी के सृजन हेतु हम इनोवेटिव और उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देंगे, जिसके लिए हम उद्योगों को वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
- 14 हमने 'नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी' की शुरुआत की है, जिससे कई महत्वपूर्ण ई-पुस्तकें और शोध पत्र छात्रों को मुफ्त प्राप्त होते हैं। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शोध को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को बिना किसी शुल्क प्रमुख शोध पत्रिकाएं उपलब्ध कराएंगे।

कौशल विकास

- 15 हम नई तकनीक और नए अवसरों के लिए तैयार उद्योग-अनुरूप कार्यक्षमता से लैस श्रमबल तैयार करने के लिए 'नेशनल रीस्किलिंग और अपस्किलिंग नीति' का निर्माण करेंगे।



महिला सशक्तिकरण

‘प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है कि “भारत को न केवल महिला के विकास की जरूरत है बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की आवश्यकता है जो हमारे विकासोन्मुखी पथ पर महिलाओं के नेतृत्व को सुनिश्चित करें”, यह एस बात का प्रतीक है कि हम महिलाओं के समग्र विकास और लैंगिक समानता के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। इन सकारात्मक मानकों के आधार पर हम महिलाओं के समग्र विकास और समाज तथा अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि जारी रखेंगे।

महिला-प्रेरित विकास

- 01 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बेटियों को अबाधित शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। हम शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी बालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और उच्च शिक्षा ऋण में रियायत प्रदान करेंगे।
- 02 पिछले पांच वर्षों में, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है एवं उन तक बेहतर बुनियादी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई है। अगले पांच वर्षों में ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने हेतु एवं उनके लिए नए और अधिक लाभकारी रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु, हम महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों हेतु एवं महिला कृषिकों के लिए संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाएंगे, उनकी क्षमता का विकास करेंगे, कर्ज को और सुगमता से उपलब्ध कराएंगे और विपणन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाएंगे।
- 03 हम महिलाओं को राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में समान रूप से भागीदार और लाभार्थी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगले पांच वर्षों में महिला कार्यबल की भागीदारी दर में प्रभावशाली रूप से वृद्धि प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विस्तृत 'महिला कार्यबल' रोडमैप तैयार करेंगे, साथ ही महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु, उद्योग और कॉर्पोरेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करेंगे।
- 04 महिलाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु, परिधान, चमड़ा, कागज, लकड़ी, रबर, फर्नीचर इत्यादि के निर्माण क्षेत्रों में होने वाली सरकारी खरीद (procurement) का 10% हिस्सा उन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग इकाइयों से करेंगे, जहां कार्य-बल में महिलाओं की भागीदारी कम से कम 50 प्रतिशत हो।

अब हम असंगठित क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता की जरूरतों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, मौजूदा आंगनवाड़ियों, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र का लाभ उठाकर, हम क्रेच कार्यक्रम को मजबूत करेंगे ताकि क्रेच और चाइल्ड केयर सुविधाएं सुलभता से उपलब्ध हों। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 2022 तक इस प्रकार की सुविधाओं की संख्या में कम-से-कम तीन गुना वृद्धि हो।

महिलाओं को समान अधिकार

- 06 हमने महिलाओं के संपूर्ण विकास और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। हम तीन तलाक और निकाह-हलाला जैसी प्रथाओं के उन्मूलन और उन पर रोक लगाने के लिए एक कानून को पारित करेंगे।

महिलाओं के लिए एक गरिमामय जीवन

- 07 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान और आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमने महिलाओं के लिए एक सुरक्षित मातृत्व अवधि प्रदान करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, सभी महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और सस्ती मातृत्व देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।



- 08 सरकार ने पोषण अभियान द्वारा कुपोषण से मुक्ति की दिशा में बड़ी पहल की है। हम इससे अगले 5 वर्षों में तकरीबन 10 प्रतिशत तक कुपोषण को कम कर, इस दर में दोगुनी कमी लाएंगे।
- 09 हम सुनिश्चित करेंगे कि भारत की सभी महिलाओं को प्रसव और माहवारी संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों। इसके साथ ही सुविधा योजना के तहत वितरण माध्यमों का विस्तार करते हुए हम सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक रूप में सैनिटरी पैड प्रदान करेंगे।
- 10 हमने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। हम सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत का विस्तार करेंगे ताकि इन फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता प्रणाली सुनिश्चित की जाए।
- 11 महिलाओं की सुरक्षा को हर स्तर पर प्राथमिकता दी जाएगी। हमने गृह मंत्रालय के अधीन महिला सुरक्षा विभाग का गठन कर कानूनों में भी बदलाव किया है। महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के मामलों में, विशेष तौर पर दुष्कर्म के मामलों में, शीघ्रतिथी सुनवाई हो तथा पीड़ित को शीघ्र न्याय मिले, इसके लिए फॉरेंसिक सुविधाएं और फास्ट-ट्रैक अदालतों का विस्तार किया जाएगा।
- 12 समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक मानसिक परिवर्तन हेतु और उनसे से सम्बंधित विषयों पर जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए हम सभी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यस्थलों, न्यायिक प्रणालियों इत्यादि में स्त्री-पुरुष समानता के विषय को पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण का एक अनिवार्य अंग बनाएंगे।
- 13 अपने कर्तव्यों का पालन करते शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाओं को कल्याणकारी सहयोग देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम शहीदों की विधवाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए काम के अवसरों का निर्माण करेंगे, कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेंगे और उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेंगे।

महिलाओं को आरक्षण

- 14 सरकार के अंतर्गत तमाम स्तरों पर महिला कल्याण एवं विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। भाजपा संविधान में प्रावधान के जरिए संसद एवं राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आखिर हमारा 'New India' का सपना यही तो है जहाँ नारी सशक्त हो, सबल हो, देश के समग्र विकास में बराबर की भागीदार हो”
- श्री नरेन्द्र मोदी



समावेशी विकास

एक समरस और समतामूलक समाज ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का मुख्य तत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत की अवधारणा में 'सबका साथ-सबका विकास' मूल बिंदु है।

सबके लिए न्याय

- 01 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी लोगों को संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध हर लाभ प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन वर्गों में शामिल हर व्यक्ति को सही प्रतिनिधित्व और समान व न्यायपूर्ण अवसर प्रदान किए जाएं।
- 02 हमने निर्णायक रूप से यह सुनिश्चित किया है कि गैर-आरक्षण वर्ग में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में उचित प्रतिनिधित्व तथा अवसर मिले, जिसके लिए हमने आर्थिक रूप से कमजोर गैर-आरक्षण वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया। हम इस प्रावधान को लागू करते हुए यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले।

सबका विकास

- 03 सबके लिए सुलभ शिक्षा तथा शिक्षा की पहुंच सभी तक हो, यह सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है। इसके लिए 50 प्रतिशत और कम से कम 20,000 की आबादी वाली अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' की स्थापना की जाएगी। हालांकि एकलव्य विद्यालयों में कौशल विकास और खेलों के बेहतरीन प्रशिक्षण की भी विशेष व्यवस्था होगी और साथ ही इन विद्यालयों में स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण की विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
- 04 सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आदिवासियों के सभी अधिकार सुरक्षित रहें।
- 05 वन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले संसाधनों के प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से इन क्षेत्रों के आदिवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए और आदिवासियों की आय में वृद्धि करने के लिए 50,000 'वन-धन विकास केंद्रों' की स्थापना की जाएगी।
- 06 हम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और यंत्रिकृत सफाई को बढ़ावा देते हुए यह प्रावधान करेंगे कि सफाई कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित हो।

गरीब कल्याण

- 07 अगले पांच वर्षों में हम गरीबी रेखा से नीचे मौजूद परिवारों के प्रतिशत को कम करते हुए एक अंक में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- 08 हम 2022 तक ऐसे प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देंगे, जो कच्चे मकानों में रहते हैं।
- 09 हम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए गरीब और कम आय वाले परिवारों के कुल 80 करोड़ लोगों को अनाज (गेहूं, चावल, मोटे अनाज) अधिकाधिक सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने में सफल हुए हैं। इसे विस्तार देते हुए हम इन 80 करोड़ लोगों को सब्सिडी पर चीनी (प्रति परिवार प्रति माह 13 रुपये प्रति किलो) उपलब्ध करवाएंगे, जो हमारे आदर्श वाक्य 'सबका साथ-सबका विकास' को चरितार्थ करता है।



- 10 जनधन योजना की अभूतपूर्व सफलता से भारत का वित्तीय समावेशन काफी बेहतर हुआ है। आधार प्लेटफॉर्म और जनधन की सफलता से डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से हम बैंकों की अन्य शाखाओं, पेमेंट बैंक और बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट तक पहुंच को सुलभ बनाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। इसके साथ ही हम डेटा और निजता की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखेंगे। इस योजना के साथ हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर भारतीय के पास 5 किमी के अंतर्गत बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हों। हम एक तकनीक-आधारित कार्यक्रम भी लाएंगे, जो मास मीडिया कैम्पेन को वित्तीय साक्षरता के साथ जोड़ते हुए वित्तीय क्षेत्र के बारे में जानकारी देगा और भारत के वित्तीय तंत्र में हर भारतीय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सामग्रियों के उपयोग से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा।

निम्न मध्यम वर्ग को प्राथमिकता

- 11 मौजूदा बजट में एक बड़ी छूट प्रदान करने के बाद हम आगे भी कर दरों और कर में दी गई छूट का अवलोकन करते रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि मध्यम आय वाले परिवारों की आय बढ़े और उनकी खरीद-क्षमता विकसित हो।
- 12 हम यह सुनिश्चित करेंगे कि निम्न मध्यम-वर्गीय परिवारों को शिक्षा, रोजगार के अवसर और बेहतर जीवन के स्तर के लिए उचित शहरी आधारभूत संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) उपलब्ध हो सके।

भौगोलिक समानता के लिए प्रतिबद्धता

- 13 समावेशी विकास का मतलब हमारे लिए भौगोलिक समावेश भी है। इसके लिए हमारी सरकार ने 115 'एस्पिरेशनल' जिलों की पहचान की है, जिनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम इन प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन जिलों में भी देश के बाकी हिस्सों के समकक्ष विकास हो। इसी प्रकार, हमने बेहतर संपर्क व्यवस्था, प्रभावी आधारभूत संरचना के निर्माण और वित्तीय संसाधनों के पर्याप्त प्रावधान के माध्यम से पूर्वी भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की नींव रखी है। हम इस क्षेत्र में विकास के भौगोलिक असंतुलन में सुधार करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने और पूर्वी भारत को राष्ट्र की प्रगति में बराबर का भागीदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, यह 'पूर्वोदय' है।

अल्पसंख्यक वर्ग

- 14 सबका साथ-सबका विकास के संकल्प पर हम सभी अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी) के सशक्तिकरण हेतु और उन्हें 'गरिमापूर्ण विकास' उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वरिष्ठ नागरिक

- 15 सभी बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों को समय पर मदद और उनके लिए सहायक चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हम 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना' को और व्यापक बनाते हुए इसका विस्तार करेंगे।

दिव्यांगों को सक्षम बनाना

- 16 'सुगम्य योजना' के तहत नगरों, एयरपोर्टों, रेलवे स्टेशनों और जन आवागमन सुविधाओं तथा शहरी आधारभूत संरचना के नियमित ऑडिट और रेटिंग की व्यवस्था करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग जनों को यह सुलभता से उपलब्ध हो, इसके लिए सिविल सोसाइटी से जुड़े संगठनों और उद्योगों की सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे।
- 17 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आसानी से जरूरतमंद दिव्यांगों को उपलब्ध हो सके।
- 18 आंगनवाड़ी और प्री-स्कूल व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि बच्चों में किसी प्रकार के विकृति के मामले को जल्द-से-जल्द पहचान कर उसके उचित उपचार की व्यवस्था की जा सके।



19 दिव्यांगों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज मिले, इस दिशा में कदम उठाएंगे।

गोरखा विषय का राजनीतिक समाधान

20 हम 11 छूटी हुई भारतीय गोरखा उप-जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देंगे। इसके साथ-साथ हम सिक्किम विधानसभा में लिम्बू और तमांग जनजातियों हेतु आरक्षण लागू करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

21 हम दार्जिलिंग हिल्स, सिलीगुड़ी तराई और डुवार्स क्षेत्र की समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्रमिक वर्ग का कल्याण

22 हमारी सरकार की नीतियों के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यूनतम आय में 42 प्रतिशत वृद्धि हुई है। हम यह वृद्धि-दर अगले 5 साल भी बरकरार रखेंगे और कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक आय सुनिश्चित करेंगे।

छोटे दुकानदारों को पेंशन

23 हम छोटे दुकानदारों को सम्मिलित करते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का विस्तार करेंगे।

कारीगरों का कल्याण

24 हम एक अम्ब्रेला स्कीम, 'प्रधानमंत्री कलानिधि योजना' लाएंगे, जिससे पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए सुलभ और अनुकूलित ऋणों के पैकेज, सामाजिक सुरक्षा, वर्किंग कैपिटल आदि प्रदान किए जाएंगे।

बाल कल्याण

25 हम एक संक्षिप्त बाल सुरक्षा ढांचा तैयार करेंगे, जो भारत में मौजूद सभी चाइल्ड केयर संस्थानों के लिए सही मानक तय करेगा, उनका निरीक्षण करेगा और उनपर निगरानी बनाए रखेगा।

ट्रांसजेंडर वर्ग का सशक्तिकरण

26 हम सामाजिक और नीति-निर्णायक स्तर पर सभी ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

27 हम ट्रांसजेंडर वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार और कौशल विकास के अवसर सुनिश्चित करेंगे।



सांस्कृतिक विरासत

अपने स्थापना काल से ही भाजपा का दर्शन भारतीय सभ्यता-संस्कृति में निहित है। न्यू इंडिया के निर्माण में, हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता को संरक्षित एवं संवर्धन करने के लिए कृतसंकल्प हैं। अपने इन सांस्कृतिक मूल्यों को हम विकास पथ की बाधा नहीं वरन अपने उज्ज्वल भविष्य का आधार मानते हैं।

राम मंदिर

- 01 राम मंदिर पर भाजपा अपना रुख दोहराती है। संविधान के दायरे में अयोध्या में शीघ्र राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा और इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

भारतीय आस्था और संस्कृति का संरक्षण

- 02 हम हर वर्ग की आस्था से जुड़े सभी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण विरासतों और स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रसाद (PRASAD) योजना का विस्तार करेंगे।

भारतीय भाषाओं का संरक्षण

- 03 हम भारत की लिखी और बोली जाने वाली सभी भाषाओं तथा बोलियों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यबल का गठन करेंगे। भारतीय भाषाओं और बोलियों के पुनरुद्धार और संवर्धन के लिए हर-संभव प्रयास करेंगे।
- 04 संस्कृत भाषा पर विशेष ध्यान देते हुए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूली स्तर पर संस्कृत की शिक्षा का विस्तार हो। इसके अलावा संस्कृत में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु शोधार्थियों व विद्वानों के लिए 100 पाणिनि फ़ेलोशिप की शुरुआत करेंगे।

नमामि गंगे: गौरव का विषय

- 05 हम गंगोत्तरी से गंगासागर तक गंगा नदी का निर्मल एवं अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि गंगा किनारे बसे सभी नगरों में सीवरेज की अवसंरचना 100 प्रतिशत सुनिश्चित और प्रभावी तरीके से कार्य कर रही हो। हम गंगा के निर्बाध प्रवाह के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
- 06 गंगा के किनारे स्थित वो गांव, जो पहले से ही खुले में शौच से मुक्त हैं, उन्हें एक विशेष परियोजना में शामिल कर, उनके ठोस एवं तरल कचरे का संपूर्णसतत प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।

सबरीमला

- 07 हम पूरा प्रयास करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सबरीमला की आस्था, परंपरा एवं पूजा पद्धति का पूरा विषय रखा जाये। हमारा प्रयास होगा की आस्था एवं विश्वास के विषयों को संवैधानिक संरक्षण मिले।

योग: गौरवशाली विरासत का वैश्विक विस्तार

- 08 हम दुनिया भर में 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मनाते हुए, योग के प्रचार और विस्तार के क्षेत्र में अपने



निरंतर प्रयासों को जारी रखेंगे। हम योग को विश्व के लिए एक स्वच्छ जीवन पद्धति का प्रमुख माध्यम बनाएंगे और योग प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नई पहल करेंगे। साथ ही, हम योग से संबंधित पर्यटन, स्वास्थ्य सुविधाएं और अनुसंधान के क्षेत्र का विस्तार करेंगे।

सांस्कृतिक महोत्सव की विश्वस्तरीय पहल

- 09 भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत एवं इसकी विविधताओं को दुनिया के समक्ष प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष, पांच विभिन्न राज्यों में बड़े स्तर पर भव्य अंतरराष्ट्रीय भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रवासी भारतीयों एवं अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अधिक-से-अधिक भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

धरोहर दर्शन

- 10 भारत में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व वाले सभी धरोहर स्थलों तथा संग्रहालयों तक पहुंच अधिक सुगम बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हम एकीकृत वेब पोर्टल 'धरोहर दर्शन' के जरिए ऐसे सभी स्थानों का वेब आधारित वर्चुअल टूर आरंभ करेंगे। भौगोलिक सीमाओं को समाप्त कर यह पोर्टल भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का रियल टाइम अनुभव प्रदान करेगा और यह अनुभव दुनिया के किसी भी कोने से लिया जा सकेगा।

समान नागरिक संहिता

- 11 भारत के संविधान 44 में समान नागरिक संहिता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में दर्ज की गई है। भाजपा का मानना है की जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता है, तब तक लैंगिक समानता कायम नहीं हो सकती है। समान नागरिक संहिता, सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है। भाजपा सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने को कटिबद्ध है जिसमें उन परम्पराओं को आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाये।



वैश्विक भारत

हम ये मानते हैं कि यह समय भारत का है और यह बहु-ध्रुवीय और अपने हितधारकों के मध्य एक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया है। भारत का उत्थान एक नयी वास्तविकता है और हम 21 वीं सदी के वैश्विक एजेंडा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

वसुधैव कुटुम्बकम्

- 01 राष्ट्र के विकास और सुरक्षा से जुड़े हितों की दिशा में प्रयास करते हुए हम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के प्राचीन भारतीय दर्शन को केंद्र में रखेंगे। प्रगति, संपन्नता, शांति एवं सुरक्षा के लिए विशेष रूप से मित्र देशों एवं पड़ोसियों के साथ हमारा वैश्विक सहयोग 'वसुधैव कुटुम्बकम्' पर ही आधारित होगा। वैश्विक स्तर पर साझा हितों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए सतत कार्य करने के साथ ही हम आपदा राहत एवं मानवीय सहयोग के मामलों में पहले पहल करने की अपनी भूमिका को और सुदृढ़ व सुनियोजित बनाएंगे तथा आपदा से निपटने वाले बुनियादी ढांचे के लिए साझेदारी को मजबूत करेंगे।

ज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक समन्वय को विस्तार देना

- 02 हम सभी देशों के साथ परस्पर विकास के लिए अपने कूटनीतिक संबंधों में ज्ञान के आदान-प्रदान (ज्ञान विनिमय) तथा तकनीक के हस्तांतरण पर विशेष जोर देंगे। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े मामलों में बेहतर समन्वय और सहयोग के लिए 'अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समूह' तैयार करने का प्रयास करेंगे। इससे सभी देशों, विशेष कर छोटे देशों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभ सुनिश्चित हो सकेंगे।

प्रवासी भारतीयों के साथ सतत संवाद को बढ़ावा देना

- 03 हम विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के साथ संस्कृति एवं विरासत के संबंध मजबूत करने और उनके साथ नियमित रूप से संवाद करने के लिए संस्थागत प्रणाली का निर्माण करेंगे। साथ ही हम भारतीय समुदाय के साथ संपर्क व संवाद बढ़ाने और उन्हें भारतीय दूतावासों से लगातार जोड़े रखने के लिए 'भारत गौरव' अभियान की भी शुरुआत करेंगे। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए जानकारियों एवं सेवाओं की उपलब्धता के लिए एकीकृत बिंदु के रूप में 'मदद पोर्टल' को और प्रभावी, सुलभ व सुदृढ़ बनाएंगे।

वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई

- 04 हम आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों और संगठनों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसे देशों तथा संगठनों को वैश्विक मंचों पर अलग-थलग करने के लिए हम सभी जरूरी उपायों पर कार्य करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए हम एक बहुपक्षीय और स्वैच्छिक संगठन के रूप में 'अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी मंच' बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। यह अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर समग्र संधि के मसौदे में दिए गए सिद्धांतों पर आधारित ऐच्छिक व बहुपक्षीय मंच होगा।

बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा

- 05 हम आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी वैश्विक बुराइयों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र, जी20, ब्रिक्स, एससीओ, राष्ट्रमंडल आदि मंचों के जरिए सहयोग जुटाने के प्रभावी प्रयास करेंगे। रूस-भारत-चीन (RIC) और जापान-अमेरिका-भारत (JAI) जैसी महत्वपूर्ण संवाद प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसियों को वरीयता) की अपनी नीति को आगे ले जाने के लिए हम 'बिम्सटेक' जैसे मंचों का अधिकाधिक उपयोग करेंगे, ताकि हमारे पड़ोस में स्थित देशों के साथ क्षेत्रीय समन्वय और आर्थिक सहयोग की गति को तेज किया जा सके। एक्ट ईस्ट नीति, आसियान के साथ सहयोग और सुगम, समावेशी, संपन्न एवं सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्य किया जाएगा।



संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता

- 06 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि इस संस्था में विश्व का समसामयिक भू-राजनीतिक यथार्थ परिलक्षित हो सके। हम इन उद्देश्यों की दिशा में अपने प्रयासों को तेज करने के लिए कृतसंकल्प हैं।

राजनयिक अधिकारियों की संख्या और पहुंच को सुदृढ़ बनाएंगे


- 07 हम दुनिया भर में भारत की बढ़ती पहुंच और मजबूत होती स्थिति के अनुरूप राजनयिक एवं सहयोगी अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करेंगे। साथ ही हम एक सुदृढ़ व्यवस्था के जरिए विदेश नीति के निर्माण में विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हम विदेश नीति का विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे, जो इस क्षेत्र में इस प्रकार का पहला विश्वविद्यालय होगा। यह विश्वविद्यालय विदेश नीति एवं भारत की दृष्टि से प्रासंगिक भू-राजनीतिक विषयों के अध्ययन एवं शोध के लिए और भारत तथा मित्र देशों के राजनयिकों की क्षमता बेहतर करने के लिए समर्पित होगा। भारत के राज्यों के आर्थिक विकास के लिए उनके अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में सक्रिय रूप से सहयोग किया जाएगा।



“अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपसी समझ और सहयोग पर आधारित हैं”

- श्री नरेन्द्र मोदी





भारत की आजादी के
75 साल.
के लिए **75 संकल्प**



भारत की आज़ादी के 75 साल के लिए 75 संकल्प

विगत पांच वर्षों के शासनकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रत्येक भारतवासी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। सरकार ने अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए लोक हित में कार्य किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस विषय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कहा है कि 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल पूरे होंगे तो हम सभी भारतवासियों के जीवन में परिवर्तन का संदेश लेकर जायेंगे। विगत पांच वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर, 2022 में आजादी की 75वें वर्षगांठ पर, हमारी पार्टी देश के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करने का विश्वास रखती है। ये 75 महत्वपूर्ण पड़ाव भारत को मज़बूती देंगे और हर भारतीय के जीवन में सुखद परिवर्तन भी लाएंगे इसलिए हम इन 75 कदमों के प्रति विश्वास प्रकट करते हैं:



कृषि

- 1 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
- 2 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन में सहायता
- 3 ई-नाम, ग्राम और प्रधानमंत्री आशा योजना के जरिये न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बाजार अवसर
- 4 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सारे किसानों को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य
- 5 60 वर्ष की आयु के उपरांत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों हेतु पेंशन योजना

- 6 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने की दिशा में काम
- 7 मूलधन के सामान्य पर भुगतान की शर्त पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 1 से 5 वर्ष के लिए 1 लाख रुपये तक का अल्पावधि कृषि ऋण
- 8 फसल का सिंचित रकबा बढ़ाएंगे
- 9 भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की दिशा में कार्य
- 10 यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि हर एक गांव हर मौसम में सड़क से जुड़ा रहे
- 11 नई 'मत्स्य संपदा योजना' के अंतर्गत भंडारण क्षमता और अन्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित कर अधिक से अधिक मछुआरों की सहायता
- 12 अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और तरल कचरे का 100 प्रतिशत व्यवस्थापन



युवा एवं शिक्षा

- 13 सभी माध्यमिक स्कूलों को ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत लाने की दिशा में कार्य
- 14 रिवाइटलाइजिंग ऑफ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन (RISE) के जरिए उच्च शिक्षा में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश
- 15 उत्कृष्ट प्रबंधन संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम
- 16 उत्कृष्ट इंजीनियरिंग संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्य
- 17 उत्कृष्ट विधि संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम
- 18 प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक अटल टिकरिंग लैब की स्थापना
- 19 नई 'उद्यमशील उत्तरपूर्व' योजना के तहत पूर्वोत्तर के तहत एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय सहायता और रोजगार सृजन को बढ़ावा



बुनियादी ढांचा

- 20 प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान
- 21 अधिक से अधिक गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए



एलपीजी गैस सिलिंडर कनेक्शन

- 22 सभी घरों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण
- 23 प्रत्येक नागरिक के लिए बैंक खाता
- 24 प्रत्येक घर में शौचालय
- 25 सभी घरों के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता
- 26 भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण को तेजी से पूर्ण करना
- 27 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को दोगुना करना
- 28 शहरों और गांवों में ओडीएफ+ और ओडीएफ++ दर्जा प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 100 प्रतिशत कचरा संग्रह सुनिश्चित करना
- 29 सभी गांवों और शहरों को ओडीएफ बनाना
- 30 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य
- 31 पेट्रोल में 10% एथोनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास
- 32 प्रत्येक ग्राम पंचायत को हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना
- 33 प्रमुख नगरों और छोटे नगरों में पाइप से रसोई गैस की आपूर्ति
- 34 जल प्रबंधन के कार्यों को एक साथ ला, एक नए जल मंत्रालय का निर्माण। जिससे जल प्रबंधन की समस्या से सर्वांगीण रूप से निपटने तथा प्रयासों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने में सहायता होगी।
- 35 बेहतर हवाई संपर्क के लिए परिचालन हवाई अड्डों की संख्या को बढ़ाकर 150 करने का लक्ष्य
- 36 बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाकर 2500 करोड़ टन वार्षिक



रेलवे

- 37 2022 तक सभी व्यवहार्य रेल पटरियों का ब्रॉड गेज में परिवर्तन सुनिश्चित करना
- 38 2022 तक सभी रेल पटरियों का विद्युतीकरण के हर संभव प्रयास
- 39 देश भर में स्मार्ट रेलवे स्टेशनों का निर्माण
- 40 सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा
- 41 डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को पूरा करेंगे



स्वास्थ्य

- 42 आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र
- 43 75 नए मेडिकल कॉलेज/स्नातकोत्तर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का आरंभ
- 44 गरीबों के लिए उनके दरवाजे पर ही गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों पर टेलीमेडिसिन एवं डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी उपलब्ध कराने का लक्ष्य
- 45 बाल परिचर्या केंद्रों की संख्या को तीन गुना बढ़ाने की दिशा में काम
- 46 क्षय रोग के मामलों में कमी लाना
- 47 प्रशिक्षित डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात 1:1400 करने की दिशा में काम
- 48 पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषण का स्तर घटाने और कुपोषण में कमी की दर तेज करने का लक्ष्य



अर्थव्यवस्था

- 49 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की रैंक और भी बेहतर बनाने का लक्ष्य
- 50 विनिर्माण क्षेत्र से जीडीपी की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में काम
- 51 कुल निर्यात दोगुना करने की दिशा में काम
- 52 राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित करेंगे और खुदरा कारोबार के विकास के लिए राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति तैयार करेंगे
- 53 सूक्ष्म, माध्यम और लघु उद्योग के लिए एकल खिड़की अनुपालना एवं विवाद समाधान प्रणाली तैयार करने की दिशा में कार्य
- 54 कर की कम दरें, उच्च कर संग्रह एवं अधिक अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास
- 55 स्थिर कर प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य



- 55 कानून के पालन हेतु प्रोत्साहित करने एवं कारोबार करने में सुगमता हेतु कंपनी अधिनियम में संशोधन करेंगे। इसके तहत मामूली तकनीकी एवं प्रक्रियागत चूक की सूरत में दीवानी जुर्माने का प्रावधान ताकि अदालतों में मुकदमों लंबित न रहे



सुशासन

- 57 प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हों
- 58 अदालतों का संपूर्ण डिजिटलीकरण एवं आधुनिकीकरण
- 59 डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा
- 60 सरकारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाएंगे
- 61 सरकारी सेवाओं की डिजिटल आपूर्ति
- 62 वायु प्रदूषण के वर्तमान स्तर को कम करने की दिशा में काम
- 63 वायु प्रदूषण कम करने के लिए फसल अपशिष्ट का जलाना पूरी तरह बंद करने की दिशा में काम
- 64 'गगनयान' अभियान के अंग के रूप में भारतीय अंतरिक्षयान में एक भारतीय को अंतरिक्ष में भेजेंगे



समावेशी विकास

- 65 सभी बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण
- 66 सभी सरकारी इमारतों को सुगम बनाने का प्रयास
- 67 छह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के निर्माण का कार्य पूर्ण करेंगे

- 68 'पंचतीर्थ' सर्किट का विकास पूरा करने की दिशा में काम
- 69 छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में सम्मिलित करना
- 70 सभी असंगठित मजदूरों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ बीमा, पेंशन आदि सुनिश्चित करना



महिलाएं

- 71 महिला कार्यबल भागीदारी दर बढ़ाने की दिशा में काम
- 72 तीन तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करन



सांस्कृतिक धरोहर


- 73 2022 तक स्वच्छ गंगा का लक्ष्य
- 74 स्वदेश दर्शन, प्रसाद और हृदय योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करेंगे
- 75 सभी राष्ट्रीय संग्रहालयों के संग्रहों का डिजिटलीकरण




ये देश न रुकेगा, न झुकेगा,
ये देश न थकेगा। हमें नई
ऊंचाइयों पर आगे चलना है।
उत्तरोत्तर प्रगति करना
हमारा लक्ष्य है।

-श्री नरेन्द्र मोदी





राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा,
अन्त्योदय हमारा दर्शन,
सुशासन हमारा मंत्र



भारतीय जनता पार्टी



www.bjp.org



/BJP4India

मुद्रक:

एक्सलप्रिंट
C-36, फ्लैटेड फेवर्टी कामप्लेक्स
इंडियालाइन, नई दिल्ली - 110055

प्रकाशक:

भारतीय जनता पार्टी,
6A, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002